पंचम माला, खंड 44, अंक 37 शनिवार, 7 सितम्बर, 1974/16 भाद्र, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLIV, No. 37 Saturday, September 7, 1974/Bhadra 16, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 44 में अंक 31 से 38 तक हैं / Vol. XLIV contains Nos. 31 to 38]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is a translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 37—शनिवार, 7 सितम्बर, 1974/16 भाद्र, 1896 (शक)
No. 37—Saturday, September 7, 1974/Bhadra 16, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papars Laid on the Table. . . .	1-2
वित्तीय समितियां, 1973-74 (एक समीक्षा)—सभा पटल पर रखी गई	Financial Committees, 1973-74 (A Review)—Laid . . .	3
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . .	3
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills.	4
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
विवरण—सभा पटल पर रखा गया	Statement—*Laid*.	4
विश्व जनसंख्या सम्मेलन के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. World Population Conference—	
डा० कर्ण सिंह—	Dr. Karan Singh	4
एक ही नम्बर वाले पांच रुपये के करेंसी नोटों के पायें जाने के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Discovery of Currency Notes of Five Rupees Denomination bearing the same Number—	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh . . .	5-6
निदेश 115 के अधीन सदस्य द्वारा वक्तव्य	Statement by Member under Direction 115	6-7
सदस्य की रिहाई	Release of Member . . .	7-8
सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanations by Members	8-11
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter Under Rule 377—	
5 सितम्बर, 1974 को सभा की प्रक्रिया के बारे में	Re. Procedure in the House on 5-9-74	11-12
विभिन्न मामलों के बारे में सदस्यों द्वारा निवेदन	Submissions by Members Re. Various Matters . . .	12-23
गुजरात के बारे में जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प स्वीकृत हुआ—	Statutory Resolution Re. Continuance in the force of the proclamation issued in Respect of Gujarat—*Adopted*.	
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K.S. Chanda . . .	23-24
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . .	24-25

1—35 LSS/74

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	25–26
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	26–28
ब्याज-कर विधेयक—	Interest-Tax Bill—	
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	28–29 व 32
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	29–30
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	30
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	30–31
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh	31
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	31–32
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwarlal Patel	32
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta	32
खंड 2 से 30 और 1	Clauses 2 to 30 and 1	33
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass, as amended—	
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	33
एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक—	Esso (Acquisition of Undertakings in India) Amendment Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किये जाने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan	33–34 व 36
श्री नूरूल हुडा	Shri Noorul Huda	34
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	34–35
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwari	35
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	35
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	35
खंड 2 और 1	Clause 2 and 1	37
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan	37
दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक—	Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill—	
विचार किए जाने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin . .	37–38 व 40–41
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	38
श्री बुटा सिंह	Shri Buta Singh . .	38
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai . .	38
श्रीमती टी० लक्ष्मीकांतम्मा	Shrimati T.Lakshmikanthamma	38–39
श्री हेमेंद्र सिंह बनेरा	Shri Hemendra Singh Banera	39
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi .	39–40
खंड 2 से 7 और 1	Clauses 2 to 7 and 1— . .	41–42
संशोधित रूप में, पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass, as amended—.	
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin . .	42–43
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh .	42
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1974-75—	Supplementary Demand for Grants (Railways), 1974-75—	
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagadish Bhattacharyya	46–47
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	47–48
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan .	48–49

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 7 सितम्बर, 1974/16 भाद्र, 1896 (शक)
Saturday, September 7, 1974/Bhadra 16, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 386(ङ) (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 सितम्बर, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 8396/74**]

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में वक्तव्य

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं छम्ब नियाबत से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में श्री जगन्नाथ राव जोशी और श्री मधु लिमये द्वारा 30 अगस्त, 1974 को उठाये गये मामले के अनुसरण में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) सभा पटल पर रखता हूं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8397/74**]

भारतीय तेल निगम के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रदिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 8398/74**]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 372 (ङ)

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8399/74**]

कागज, लुगदी तथा सहायक उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कागज, लुगदी तथा सहायक उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् के 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लिये वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी 8400/74**]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक आयोग के दस्तावेजों और प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में विवरण

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) निम्न मामलों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के प्रतिवेदनों **के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण—

(एक) मैसर्स डनलप इण्डिया लिमिटेड ;

(दो) मैसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्टस् आफ इंडिया लिमिटेड एण्ड मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड; और

(तीन) मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8401/74**]

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 21 (3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स विल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 8-3-1973 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

(दो) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 21 (3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स निशा एण्ड कम्पनी बम्बई के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 14-9-1971 का केन्द्रीय सरकारका आदेश ।

(तीन) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 23 (6) के अन्तर्गत विलकोक्स बकबैल इंडिया लिमिटेड के मैसर्स लारसन एण्ड टुबरों लिमिटेड के साथ विलय के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 30-9-1971 का केन्द्रीय सरकार का आदेश।

(चार) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 23 (6) के अन्तर्गत साराभाई सन्स प्राइवेट लिमिटेड और साराभाई एम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के टेलीराड प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय के मामले में प्रतिवेदन।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखियेसंख्या एल० टी० 8402/74**]

वित्तीय समितियां, 1973-74 (एक समीक्षा)
FINANCIAL COMMITTEES, 1973-74 (A REVIEW)

महासचिव : मैं "वित्तीय समितियां, 1973-74 (एक समीक्षा) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

(1) कि राज्य सभा 5 सितम्बर, 1974 की बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हो गयी है कि वह श्री सुलतान सिंह को राज्य सभा से निवृत्ति के कारण संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक, 1973 संबंधी संयुक्त समति में रिक्त हुए स्थान पर अपना एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा ने यह सूचना भी दी है कि श्री सुलतान सिंह को उक्त संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थान पर नियुक्त किया गया है।

(2) कि राज्य सभा ने 6 सितम्बर, 1974 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसके द्वारा केन्द्रीय तथा अन्य सोसाइटी (विनियमन) विधेयक, 1974 को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा गया है जिसमें 45 सदस्य होंगे— राज्य सभा से 15, अर्थात् :—

श्री प्रकाश वीर शास्त्री

श्री इन्द्र दीप सिंह

श्री एन० जी० गोरे

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर

श्री निरंजन सिंह तालिब

श्री प्रभु सिंह

श्री इरेंगबाम टोम्पोक सिंह

श्री एन० सी० बुरागोहेन

प्रो० एन० एम० काम्बले

प्रो० एस० नूरुल हसन

श्री हिम्मत सिंह

श्रीमती श्याम कुमारी देवी

श्री जी० लक्ष्मणन

श्री शिशिर कुमार

श्री महादेव प्रसाद वर्मा

और लोक सभा से 30 सदस्य और सिफारिश की है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मोलित हो और उक्त संयुक्त समिति में लोक सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

महासचिव । मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 6 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1974

(2) वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974

(3) उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 1974

(4) एलकॉक एशडाऊन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1974

(5) प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974

(6) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक, 1974

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

विवरण

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के उत्तर, जो कि प्राक्कलन समिति के 16 वें और 49 वें प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिये सरकार द्वारा समय पर नहीं दिये गये गये थे, दर्शाने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विश्व जनसंख्या सम्मेलन के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. WORLD POPULATION CONFERENCE

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ 1974 को विश्व जनसंख्या वर्ष के रूप में मना रहा है। विश्व जनसंख्या सम्मेलन 19 से 30 अगस्त तक बुखारेस्ट (रुमानिया) में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में मुझे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा योजना आयोग के सदस्य, प्रो० एस० चक्रवर्ती, इसके उप–नेता थे। प्रो० पी० बी० देसाई जोकि हमारे प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य थे, सम्मेलन के महा-संवक्ता चुने गए।

मुझे विश्वास है कि इस मौके के महत्व को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य इस सम्मेलन के बारे में विस्तार से जानने के लिए इच्छुक होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पुस्तकालय में चार प्रलेखों की प्रतियां रखना चाहूंगा; महा अधिवेशन में मेरा भाषण, सम्मेलन के लिए हमारे देश के संबंध में वक्तव्य, प्रो० एस० चक्रवर्ती का समापन भाषण तथा 30 अगस्त, 1974 को सम्मेलन द्वारा स्वीकृत विश्व जनसंख्या कार्यवाही योजना। सदस्यगण देखेंगे कि मैंने अपने उद्घाटन भाषण में मोटे तौर पर जिस नीति का उल्लेख किया था, सम्मेलन द्वारा अन्त में स्वीकृत कार्यवाही योजना में वह अच्छी तरह प्रतिबिम्बित हुई है।

पांच रुपये के एक ही नम्बर वाले नोट मिलने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. DISCOVERY OF CURRENCY NOTES OF FIVE RUPEES DENOMINATION BEARING THE SAME NUMBER

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सदस्य श्री श्यामनंदन मिश्र द्वारा नियम 377 के अन्तर्गत 13 अगस्त, 1974 को जो सवाल पांच रुपयों के एक ही नम्बर (T-77/218978) वाले 20 नोटों के मिलने के बारे में उठाया था उसके बारे में, मैं सादर एक वक्तव्य दे रहा हूं।

2. श्रीमन्, इस मामले में जरूरी जांच पड़ताल की गयी। एक ही क्रम संख्या (T-77/218978) वाले पांच रुपयों के बीस नोट एक पैकेट में मिले थे जो स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने गुजरात राज्य परिवहन डिपो, राजकोट को दिया था। यह पैकट स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अहमदाबाद निर्गम कार्यालय ने दिया था; रिजर्व बैंक आफ इंडिया को यह पैकेट करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड़ द्वारा भेजे गये नोटों के बंडल में मिला था। पांच रुपये के इन सभी 20 नोटों को राजकोट से वापस ले लिया गया और करेंसी नोट प्रेस द्वारा उनकी जांच की गयी। पता चला है कि ये सभी खरे नोट हैं। यह नम्बर, नम्बर डालने वाली मशीन के एक नम्बरिंग बाक्स के रुक जाने या कनेक्टिंग राड में खराबी आ जाने के कारण बारबार छपता गया। इस मशीन का इंचार्ज इस खराबी के बारे में कंट्रोल सेक्शन को सूचना नहीं दे सका हालांकि उसे निर्धारित पद्धति के अनुसार कंट्रोल सेक्शन को बता देना चाहिए था। दुर्भाग्य से कंट्रोल सेक्शन में बाद में जो जांच पड़ताल की गयी उसमें भी बार बार एक ही नम्बरों के छपने की गल्ती नहीं रोकी जा सकी। इसका नतीजा यह हुआ कि ये नोट भारतीय रिजर्व बैंक को उसी हालत में चले गये।

3. श्रीमन्, सरकार को इस समाचार पर भी बहुत चिंता है कि उसी T-77 की सीरिज में एक ही नम्बर के 20 पांच रुपयों के नोटों का एक सेट और मिला है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए फौरी कार्रवाई के रूप में रिजर्व बैंक आफ इंडिया से कहा गया है कि वह संबंधित निर्गम कार्यालयों को यह निदेश दे दें कि जिन नोटों के नम्बरों के पहले T-77 और T-76 आता हो उनकी पूरी पूरी जांच पड़ताल किये बिना वह उन्हें जारी न करें। नोटों के उत्पादन और रिजर्व बैंक आफ इंडिया को भेजे जाने वाले नोटों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने पर 5 रुपयों के नोटों की शत प्रतिशत जांच लगभग एक साल पहले बंद कर दी गयी थी और एक आपातकालीन प्रक्रिया अपनायी जा रही थी। यह आपातकालीन प्रक्रिया जब तक कि नासिक प्रेस में सारी प्रक्रिया की विस्तृत जांच पूरी नहीं कर ली जाती है तब तक के लिए फिलहाल बन्द की जा रही है और 5 रुपयों के नोटों की शत प्रतिशत जांच करने की प्रणाली तत्काल फिर से लागू की जा रही है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया को तद्नुसार सूचना भेज दी गयी है।

4. श्रीमन्, नम्बर डालने वाली मशीन पर काम करने वाले सेक्शन और कंट्रोल सेक्शन में इस घटना से संबंधित कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है और 4 व्यक्तियों को तत्काल मुअत्तल किया जा चुका है।

5. श्रीमन्, नोटों के नम्बर या क्वालिटी दोनों के संबंध में कंट्रोल सेक्शन के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता कुछ समय से महसूस की जा रही थी और इस बारे में जरूरी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। जांच की प्रणाली में सुधार करने के बारे में भी खास तौर से नम्बरों की गलती पकड़ने के संबंध में कदम उठाये जा रहे हैं जिससे इस प्रकार की गल्ती दुबारा न हो।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह एक गम्भीर आरोप है। हम इस संबंध में या तो न्यायिक जांच अथवा संसदीय जांच की मांग करते हैं।

श्री पी० के० देव (कालाहंडी) : यह बहुत गम्भीर मामला है। हम इस संबंध में यह आश्वासन चाहते हैं कि इस विषय पर आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में चर्चा की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Parallel coins of ten paisa are also in the circulation.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Hon. Minister has stated that an enquiry in this matter is going on. I want to know the level of the said enquiry? I also want to know the name of the body conducting it.

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to draw the attention of the Government regarding the notes of hundred rupees denominations having no metal line found with the chief cashier of United Commercial Bank, Allahabad. The hon. Minister should give a detailed information in this matter.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : प्रश्न यह है कि देश की मुद्रा में फिर से कैसे विश्वास उत्पन्न किया जाये? मंत्री महोदय ने बताया है कि इस मामले में नासिक प्रेस में एक ही नम्बर के दो नोट छप गये थे।

श्री के० आर० गणेश : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। मैंने इस मामले में स्पष्ट वक्तव्य दिया है। यह यांत्रिक त्रुटि का मामला था। इस मामले को आप राजनीतिक रूप न दें।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : इन घटनाओं की पुनरावृत्ति से हम बराबर चिन्तित हैं। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्षी दल इसको राजनीतिक रूप देना चाह रहे हैं। यह कहना अनुचित है कि इसका चुनाव प्रयोजन के लिये उपयोग किया जा रहा है। हम मंत्री महोदय द्वारा दिये गये स्पष्ट वक्तव्य की सराहना करते हैं और हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच की जायेगी।

निदेश 115 के अधीन सदस्य द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION NO. 115

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Speaker, Sir, in reply to Part (b) o U.S.Q. No. 3327 on 23rd August, 1974, it has been stated that the City Compen satory Allowance at Delhi rate has never been paid to the Central Government Press employees at Faridabad. But a perusal of the Ministry's Order No. 2(4)-E 11(B)/65 dated the 5th October, 1966, clearly reveals that C.C.A. at Delhi rate has been paid to the aforesaid employees from 1st September, 1966 to 28th February, 1969 on the following conditions :—

(1) @12½% at Delhi rates for one year from 1-9-66.
(2) @75% of Delhi rates for next six months.
(3) @50% of Delhi rates for next six months.
(4) @25% of Delhi rates for next six months.

2. The Pay Certificate No. 36/A/68-69/10077 dated 25-1-69 issued to an employee by the then Manager of the Press also showed that the C.C.A. used to be paid at that time in the Central Press at Faridabad.

The hon. Minister has not stated the basis of the C.C.A. paid at that time. It clearly shows that the hon. Minister has tried to ignore the justified demands of Central Government employees, including the Central Press Employees and has not even compared the index of that time to that of today. It appears that the Government is trying to suppress the justified demands of the employees. It clearly proves that the hon. Minister had given an uncorrect reply. I hope the hon. Minister will correct his reply.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : दिनांक 23-8-1974 को लोक सभा में श्री हुकुमचन्द कछवाय द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3327 के भाग (ख) के उत्तर में मैंने साथ-साथ कहा था कि 1-9-1966 या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकारी मुद्रणालय, फरीदाबाद के कर्मचारियों को नगरपूर्ति भत्ते का दिल्ली की दरों पर कभी भी स्वीकृत/भुगतान नहीं किया गया। यह सूचना निर्माण और आवास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर दी गई थी। उस मंत्रालय ने मुद्रणालय प्राधिकारियों द्वारा पेश की गई जानकारी के आधार पर अब यह कहा है कि फरीदाबाद के मुद्रणालय के कर्मचारियों को नगरपूर्ति भत्ता वास्तव में दिल्ली दरों पर 1-9-1966 से निम्न प्रकार से दिया गया है :—

(i) एक वर्ष के लिए दिल्ली की दरो पर।

(ii) अगले छः महीनों के लिए दिल्ली की दरों का 75 प्रतिशत की दर से।

(iii) अगले छः महीनों के लिए दिल्ली की दरों का 50 प्रतिशत की दर से।

(iv) अगले छः महीनों के लिए दिल्ली की दरों का 25 प्रतिशत की दर से।

इन्हें उसके पश्चात् समाप्त कर दिया गया। गलती के लिए खेद है।

2. तदनुसार, 23 अगस्त, 1974 को दिये गये अतारांकित प्रश्न सं० 3327 के भाग (ख) के प्रथम वाक्य का उत्तर दिये गये उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित होना चाहिये :—

"दिल्ली से कुछ कार्यालयों के फरीदाबाद स्थानान्तरित होने के साथ सरकार ने 16 जून 1966 को आदेश जारी किये थे जिसके अन्तर्गत 1 जनवरी, 1966 को अथवा इसके बाद फरीदाबाद स्थानान्तरित कर्मचारियों को नगर पूर्ति भत्ता दिल्ली की दरों पर निम्न प्रकार दिया जायेगा :—

(एक) एक वर्ष के लिए दिल्ली की दरों पर

(दो) अगले छः महीनों के लिये दिल्ली की दरों का 75 प्रतिशत दर से

(तीन) अगले छः महीनों के लिए दिल्ली की दरों का 50 प्रतिशत की दर से

(चार) अगले छः महीनों के लिये दिल्ली की दरों का 25 प्रतिशत की दर दर से

इसके पश्चात् इसे समाप्त कर दिया गया था।

ऐसा इन कार्यालयों के स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिये किया गया था। फरीदाबाद स्थित उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जिनमें केन्द्रीय सरकार के मुद्रणालय के वहां नियुक्त कर्मचारी भी शामिल हैं, जो उपर्युक्त आदेश के अन्तर्गत नहीं आते थे की जोरदार मांग के बाद उक्त आदेश 1 सितम्बर, 1966 को फरीदाबाद स्थित उन सब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू हो गये थे जो 1 सितम्बर, 1966 से वहां रह रहे थे और जो 16 जून, 1966 के आदेश के अन्तर्गत नहीं आते थे।

सदस्य की रिहाई

RELEASE OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे 6 सितम्बर, 1974 को एर्नाकुलम सिटी के पुलिस कमिश्नर से प्राप्त निम्नलिखित तार की सभा को सूचना देनी है :—

"श्री एन० श्रीकान्तन नायर, लोकसभा सदस्य जिन्हें 6 सितम्बर, 1974 को 10 बजकर 20 मिनट पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 121 के अधीन एर्नाकुलम उच्च न्यायालय के सामने मार्ग में अवरोध डालने तथा पिकेटिंग करने के लिये गिरफ्तार किया गया था को 6 सितम्बर, 1974 को ही 18.00 बजे रिहा कर दिया गया था।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रति दिन एक संसद सदस्य को गिरफ्तार करने के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कानून दिन नहीं गिनता। वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। वहां पिकेटिंग करना उनके लिये बड़ा असुविधाजनक रहा होगा।

सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION BY MEMBRS

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : श्रीमन्, 9-8-74 को मैंने एक वक्तव्य दिया था कि रानाघाट में मेरी गिरफ्तारी की सूचना लोकसभा को नहीं दी गई। वस्तुतः मेरा यह वक्तव्य गलत था क्योंकि 16-11-73 को अध्यक्ष महोदय ने मेरी गिरफ्तारी की सूचना देते हुए तार पढ़ा था। मुझे गलत सूचना दी गई तथा इस गलती के लिये मैं खेद व्यक्त करना चाहती हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं 5-9-74 को विशेषाधिकार प्रस्ताव पर बोल रहा था।

उस समय श्री एम रामगोपाल रेड्डी ने मुझ पर यह आरोप लगाया था कि मुझे सभा में पूछे गए प्रति प्रश्न पर लगभग 4,500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। श्री एल० एन० मिश्र ने कहा कि मुझे कलकत्ता स्थित एक कंपनी से प्रति प्रश्न 10,000 रुपये मिलते हैं।

उपरोक्त अंशों को फिर स्टेट्समैन तथा अन्य समाचार पत्रों ने भी प्रकाशित किया था। यह जो कुछ भी कहा गया है वह सर्वथा ग़लत तथा असत्य एवम् निंदात्मक कथन है। यह सब कुछ मेरे विरुद्ध एक षड़-यंत्र का भाग है। श्री एल० एन० मिश्र तथा श्री राम गोपाल रेड्डी एक संसदीय समिति के सामने उपरोक्त आरोप सिद्ध करें और यदि नहीं सिद्ध कर सकें तो लोक सभा से त्यागपत्र दें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Shri Bosu must have added here that he would also resign in case the charges are proved.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि आरोप सिद्ध हो गये तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। मैं आपको कोरा त्यागपत्र लिख कर देता हूं। यह पहला अवसर नहीं है। श्री बी० पी० मौर्य को भी ऐसा वक्तव्य देने पर सभा में क्षमा-याचना करनी पड़ी थी।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मेरे बारे में ग़लत बात मत कहिये। मैंने कभी क्षमा नहीं मांगी।

श्री पी० के० देव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सभा आपसी झगड़े करने के लिये नहीं है। श्री बसु ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों को चुनौती दी है। इन आरोपों को संसदीय समिति अथवा विशेषा-धिकार समिति को सौंपा जाये। श्री राम गोपाल रेड्डी इस प्रकार सभा का मूल्यवान् समय नष्ट नहीं कर सकते।... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। मुझे खेद है कि ऐसे झगड़े यहां पर हो रहे हैं। मैं इस बारे में श्री पी० के० देव से सहमत हूं कि हमें एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाने चाहिये।

श्री मधु लिमये (बांका) : श्री बसु संसदीय जांच के लिये तैयार हैं ; क्या वह भी तैयार हैं ?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I want a Parliament probe into it.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मामला कार्य सूची में आ चुका है। इसमें श्री एल० एन० मिश्र का नाम भी है। क्या उन्हें यहां आना नहीं चाहिये ?

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर) : मैं चुनौती स्वीकार करता हूं और यह आरोप लगाता हूं कि उन्होंने अपने हीन व्यवहार से सभा की प्रतिष्ठा को कम किया है। क्या वह मेरी चुनौती स्वीकार करते हैं ? मैं त्यागपत्र देने को तैयार हूं। वह भी अपना त्यागपत्र दें।

अध्यक्ष महोदय : रेड्डी साहेब, आप क्या चाहते हैं ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि श्री बसु प्रत्येक प्रश्न के लिये रुपया लेते हैं। मैं ने यह कहा था कि वह सभा का मूल्यवान् समय नष्ट करते जिस पर प्रति मिनट 4,500 रुपय खर्च होते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री एल० एन० मिश्र कहां हैं ?

अध्यक्ष महोदय: आप अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। अब कृपया बैठ जायें।

श्री पी० के० देव : हम भारत सेवक समाज जैसे विभिन्न मामलों के संबंध में श्री एल० एन० मिश्र के व्यवहार पर चर्चा की मांग करते रहे हैं। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में यह आश्वासन दिया गया था कि अगले सत्र में इस पर चर्चा कराई जायेगी। वह सभा से छिपते फिर रहे हैं... (**व्यवधान**)

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कई बार क्रोध में आकर माननीय सदस्य एक दूसरे के चरित्र पर लांछन लगा देते हैं। श्री बसु ने भी अनेक बार कहा है कि श्री उमा शंकर दीक्षित एक चोर हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी चोर हैं। उन्हें कुछ सावधानी से बोलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब फिर वातावरण ख़राब हो रहा है। हम गत चार-पांच दिनों में एक दूसरे के विरुद्ध बहुत कुछ उगल चुके हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri L. N. Mishra has levelled a definite charge and Shri Bosu has contradicted it. Now you please tell us whether the matter should end here or there should be a parliamentary probe. Kindly give your ruling.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : पहले तो आप यह बतायें कि क्या उस समय जबकि कोई सदस्य अपना स्पष्टीकरण दें तो उस पर आरोप लगाने वाले सदस्य को सभा में उपस्थित नहीं रहना चाहिये ? यदि इस संबंध में नियमों में कोई कमी है तो क्या उसको दूर नहीं किया जा सकता ? दूसरे, जब कोई सदस्य अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का खण्डन करता है तथा उन्हें निराधार बताता है और साथ ही उनकी जांच का भी सुझाव देता है तो क्या संसद उस बारे में जांच कराये या उसे बस यूंही छोड़ दें ? श्री बसु ने अपने विरुद्ध आरोपों का खण्डन किया है और जांच का सुझाव दिया है अब यदि दूसरा प्रश्न इसके लिये तैयार नहीं तो फिर आरोप लगाने वाले के विरुद्ध सभा को गुमराह करने के आरोप में विशषाधिकार का मामला बनता है।

Shri Madhu Limaye : I have got a point of order and propriety. Shri Bosu contradicted the charges and asked for a parliamentary probe. But the ruling party is opposing a probe in the matter concerning 21 members. You please mark the difference in ours and their character. They are also not probing into the charges levelled by me, Shri Bosu and certain Bihar's MLAs. There are maximum charges against the hon. Minister but they are not prepared for a probe.

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : श्रीमन्, आपने इसको आदेश पत्र पर रखा है। इसलिये संबंधित मंत्री महोदय को कुछ तो संकेत देना चाहिये था कि वह क्या कहना चाहते हैं। श्री बसु ने अपना पक्ष पेश किया है अत: आपके पास एसी कोई व्यवस्था तो होनी चाहिये जिससे कि इस सभा के सदस्यों की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे। श्री एल० एन० मिश्र को आज सभा में आना चाहिये था। संभव है श्री के० रघुरामैया ने उन्हें सूचित ही न किया हो या फिर स्वयं श्री मिश्र ही यहां आना भूल गये हों... (**व्यवधान**) यह मामला आदेश पत्र में है फिर मंत्री महोदय अपने आरोपों का उत्तर देने सभा में क्यों नहीं आते ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री बसु के वक्तव्य के अन्तिम भाग के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपके पहले जो यहां अध्यक्ष थे उनके वक्तव्य में श्री मनीराम बागडी ने श्री हुमायूं कबीर के विरुद्ध कुछ टिप्पणी की थी जबकि वह मंत्री थे।

एक माननीय सदस्य : श्री मनीराम बागड़ी ने नहीं बल्कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री शास्त्री दूसरे नम्बर पर थे। सरदार हुकूम सिंह अध्यक्ष थे और दोनों पक्षों ने जांच का अनुरोध किया और मामला क्योंकि गंभीर था इस लिये श्री हमायूं कबीर ने जांचार्थ एक संसदीय समिति की मांग की थी।

एक अन्य मामले में मैंने आरोप लगाया था कि श्री कृष्णचन्द्र पन्त तथा श्री सत्यनारायण सिंह को बिड़ला की ओर से वेतन मिलता है। मंत्रियों ने इसका खण्डन किया। श्री पन्त ने कहा था कि उन्होंने बिड़ला बंधुओं से संबंध तोड़ दिया है और श्री सिन्हा ने बाद में उत्तर देने की बात कही थी बाद में श्री वाजपेयी ने मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया कि मैंने दो मंत्रियों को बदनाम करने का प्रयास किया। मैं उस समय श्रीनगर में था। तुरन्त वापस दिल्ली आया क्योंकि मेरे पास प्रमाण थे कि इन दोनों को बिड़ला से धन मिल रहा है।

इस मामले में मंत्री महोदय ने एक सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाया है अतः इसकी जांच एक संसदीय समिति द्वारा की जाये। श्री मिश्र ने श्री बसु के विरुद्ध प्रति प्रश्न 10,000 रुपये लेने का आरोप लगाया है। यह अब उनका नैतिक कर्तव्य है कि वह यहां आकर कहें कि "क्षमा करें, वह सूचना ग़लत थी" अन्यथा यह मामला संसदीय समिति को जांचार्थ सौंपा जाये। यह आपका कर्तव्य है कि आप जांच करायें वरना सन्देह का वातावरण बना रहेगा।

श्री सेझियान (कुम्भकोणम्) : मंत्री महोदय को कारगर उत्तर देने के लिये सभा में उपस्थित तो होना चाहिये था परन्तु क्योंकि वह नहीं हैं अतः मेरा सुझाव है कि मामले को सोमवार तक स्थगित कर दिया जाये और उस दिन उनसे स्पष्टीकरण लिया जाये। इसके बाद ही सभा कोई निर्णय ले सकती है।

इस संबंध में मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। इस सभा में हर समय आरोप लगाने की कुछ प्रथा भी बन गई है। जब तक इन आरोपों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं होगी तब सन्देह का वातावरण बनता जायेगा अतः सभा ऐसे मामलों को गंभीरतापूर्वक लें। आरोप लगाने वाला या तो अपने आरोप को वापस ले लें अथवा फिर उसका खमियाजा भुगते।

इस मामले को हम सोमवार तक स्थगित कर दें और श्री मिश्र को सभा के सम्मुख अपना स्पष्टीकरण करने का अवसर दें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : वह आज भी किसी समय आ सकते हैं।

श्री सेझियान : जी, हां। परन्तु सोमवार को तो अवश्य ही उनको आना चाहिये। ताकि सभा आगे कार्यवाही के बारे में निर्णय कर सके।

श्री दीनन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्री ज्योतिर्मय बसु हमारे दल के एक उत्तरदायी सदस्य हैं तथा श्री एल० एन० मिश्र ने जानबूझकर उनको बदनाम किया है। अतः मैं श्री सेझियान के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस मामले को सोमवार तक स्थगित किया जाये तथा अन्तिम निर्णय करने से पूर्व इसकी पूरी पूरी जांच कराई जाये।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्री ज्योतिर्मय बसु ने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया है और आपने यह ठीक ही कहा है कि इसके बाद इस पर कोई वाद-विवाद नहीं होना चाहिये। आश्चर्य की बात है कि रेल मंत्री सभा में उपस्थित नहीं हैं जबकि उनका नाम कार्यसूची में है। संसदीय कार्य मंत्री भी आज अपने स्थान पर जमकर बैठे हुए हैं। उन्होंने भी रेल मंत्री को बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि श्री मिश्र और श्री राम गोपाल रेड्डी उन आरोपों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो या किसी सरकारी एजेंसी के समक्ष नहीं वरन संसदीय समिति के समक्ष सिद्ध करें जो उन्होंने श्री बसु के विरुद्ध लगाये हैं अन्यथा वे लोक-सभा से त्यागपत्र दें। अत: इस सम्बन्ध में आप कृपया श्री सेझियान के सुझाव को स्वीकार करें जिससे कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध झूठे आरोप न लगा सके।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, your secretariat has just now informed you that no information was given to the Minister of Railways (*Interruption*). He might not have read the order paper but he should be given an opportunity to clarify the position. If he does not clarify the position we will have to raise this matter in the next session. Thus, he should either withdraw the allegation or prove them.

अध्यक्ष महोदय : नियम यह है कि यदि कोई सदस्य किसी सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप लगाना चाहता है तो उसे आरोपों की एक प्रति अध्यक्ष को अवश्य देनी चाहिये जिसे दूसरे सदस्य के पास भेज दिया जाय जिसमें वह उसका उत्तर दे सके। यदि कोई सदस्य उसी समय उत्तर न देकर दूसरे दिन वक्तव्य देना चाहें तो उसका उल्लेख कार्य सूची में कर दिया जाता है। यदि सदस्य का नाम कार्य सूची में नहीं होता तो इस मामले के बारे में कार्य मंत्रणा समिति में विचार-विमर्श किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : I want to raise a point of order. You have allowed the hon. Member to raise this matter under rule 377. In this connection I would like to know whether after the statement of the hon. Member regarding the procedure in the House on 5th September, 1974 has been made, we will be given an opportunity to make submissions.

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता।

नियम 377 के अंतर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

दिनांक 5 सितम्बर, 1974 को सभा की प्रक्रिया के बारे में

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय ! गुरुवार सायंकाल को जब आपने अपना स्थान ग्रहण करने के लिये सभा में पुन: प्रवेश किया उसके पश्चात् मैं शांतिपूर्वक अपने स्थान पर लौट आया था। उसके बाद हुई चर्चा के दौरान मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने यह इसलिये किया कि मैं स्थिति को गम्भीर नहीं बनाना चाहता था।

मैंने इस बीच श्री वसंत साठे के तथाकथित "काऊंटर मोशन" (प्रति-प्रस्ताव) का अध्ययन कर लिया है। इसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये किन्तु वास्तव में यह एक संशोधन था। इसको विशेषाधिकार प्रस्ताव के द्वारा दिये गये आरम्भिक भाषण के समाप्त होने के तुरंत पश्चात् प्रस्तावित किया जाना चाहिये था। मैं इसकी ग्राह्यता पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं। वाद-विवाद के दौरान बाद में इसका प्रस्ताव किया जाना अनियमित है। श्री पीलू मोदी द्वारा उत्तर दिये जाने के पश्चात् श्री वसंत साठे को एक संशोधन अथवा एक प्रति प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना सभा के सभी नियमों की खिल्ली उड़ाना था। मैं उसे किस प्रकार सहन कर सकता था ?

लोक-सभा समाचार भाग एक में लिखा है कि 6-30 म० पू० पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सभा की बैठक को स्थगित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

किन्तु सदस्य सभा के स्थगन का प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिये नियम 56-63 के अन्तर्गत ही प्रस्तुत कर सकते हैं किसी अन्य नियम के अन्तर्गत नहीं।

[श्री मधु लिमये]

विपक्ष केवल यही चाहता था कि अध्यक्षपीठ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये सभा को स्थगित करे कि विचाराधीन मामला, अर्थात् श्री पीलू मोदी का विशेषाधिकार का प्रस्ताव तथा इस पर मेरा संशोधन, निपटाया जा चुका था तथा सभा की बैठक को सभा की अनुमति के बिना नहीं बढ़ाया जा सकता था। उस स्थिति में यह प्रस्ताव किया जाना चाहिये था कि सभा की बैठक को 7-30 बजे म० प० अथवा 8-30 बजे म० प० तक अथवा जितने समय की आवश्यकता हो तब तक बढ़ाया जाये। श्री रघुरामैया द्वारा प्राय: इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं किन्तु उन्होंने गुरुवार को 6-30 बजे म० प० पर ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय ! दिनांक 5 सितम्बर को सभा में हुई घटना पर मुझे भी अत्यंत खेद है। दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों में मतभेद हो सकता है किन्तु इस मतभेद को किस रूप में व्यक्त किया जाये यह बात महत्वपूर्ण है। इस बात में कोई मतभेद नहीं होना चाहिये कि सभा का कार्य नियमानुसार निष्पादित होना चाहिये तथा सभा की निष्ठा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये।

कभी-कभी सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से कुछ त्रुटि हो जाती है और विपक्ष के माननीय सदस्य उनकी तीखी आलोचना करते हैं किन्तु यदि विपक्ष के सदस्य कुछ गलती करते हैं तो उनकी उसी प्रकार आलोचना नहीं की जाती। मेरा यही अनुरोध है कि किसी भी मामले में सभा के सम्मान और प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिये। इस स्थिति में मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे।

विभिन्न मामलों के बारे में सदस्यों द्वारा निवेदन

SUBMISSIONS BY MEMBERS REGARDING VARIOUS MATTERS

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में 35 सदस्यों ने बोलने का अनुरोध किया है। उनका क्रम बैलट द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रत्येक सदस्य के हिस्से में दो मिनट का समय आता है क्योंकि इसके लिये एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यदि सभा की अनुमति हुई तो इसके लिये आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाएगा।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : विभिन्न खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भारत की स्थिति को देखते हुये यह स्पष्ट विदित होता है कि गत $2\frac{1}{2}$ वर्षों में भारतीय खेल-कूद का स्तर कम ही हुआ है। मेरा अनुरोध है कि सम्बद्ध मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें तथा उपयुक्त कार्यवाही करें जिससे 1976 में मोंट्रियल ओलंपिक में भारत अपनी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति को पुन: प्राप्त कर सके।

दूसरा निवेदन यह है कि कलकत्ता के राशन वाले एक क्षेत्र में राज्य सरकार ने राशन की मात्रा घटा दी है जिससे लोगों को पूजा के अवसर पर बहुत कठिनाई हो रही है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई करे जिससे वहां की जनता को उचित मात्रा में राशन मिल सके।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : सभा को ज्ञात है कि इस समय देशभर में बिजली की बहुत कमी है। यह समस्या प्रति वर्ष उत्पन्न होती है किन्तु सरकार ने इस बारे में कोई उपयुक्त नीति नहीं बनाई है।

सभा को यह भी ज्ञात होगा कि देशभर के बिजली कर्मचारियों ने 18 सितम्बर से हड़ताल करने का नोटिस दिया है। उनकी मांगें न्यायसंगत हैं। मजूरी मार्गदर्शी सिद्धांत समिति स्थापित की गई थी किन्तु यह समिति बिजली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श नहीं कर रही है। मेरा अनुरोध है कि मजूरी सम्बन्धी समस्या पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ तुरंत बात-चीत आरम्भ करनी चाहिये जिससे हड़ताल को टाला जा सके।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : The House is fully aware of the atrocitias committed by the police during last two days in Jahanabad Tahsil of Bihar anl in Delhi. Police opened fire on Shri Jagdev Prasad in Bihar. The students and Teachers of I.I.T. in Delhi were also beaten up by police mercilessly. I want that the hon. Minister should make a specific statement in this regard.

Secondly, I have received a telegram from Allahabad. It has been stated therein that the persons going to tender their evidence against Shrimati Indira Gandhi before the Allahabad High Court are kidnapped. I also demand a statement in this connection by the hon. Minister.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैंने देश में आपातकालीन स्थिति को बनाए रखने के बारे में कई बार प्रश्न उठाये हैं। आपातकालीन स्थिति उन आधारों पर जारी रखी जा रही है जिनके लिये संसद ने अनुमति नहीं दी थी। इस सम्बन्ध में सरकार एक वक्तव्य दें। दूसरे, दिल्ली में आई० आई० टी० के छात्रों तथा अध्यापकों पर पुलिस ने भारी अत्याचार किया है। इसकी न्यायिक जांच कराई जानी चाहिये। अन्त में मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि बिहार में सी० आर० पी० द्वारा गोली चलाये जाने के कारण एक भतपूर्व मंत्री तथा चार अन्य व्यक्ति मारे गये हैं और लगभग 300 व्यक्ति घायल हुये हैं। इस घटना की भी जांच कराई जानी चाहिये।

प्रो० मधु दण्डवते : महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति के बारे में दिनांक 19 अगस्त, के मेरे एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में श्री शिन्दे ने कहा था कि महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हुई है अत: वहाँ सूखा की स्थिति नहीं है तथा केन्द्रीय सहायता का प्रश्न नहीं उठता। मैंने अध्यक्ष के निदेश संख्या 115 के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग की थी जिस पर एक नोट परिचालित किया गया। नोट के अनुसार केवल कोंकण क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में अच्छी वर्षा नहीं हुई है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि महाराष्ट्र में अभाव की स्थिति विद्यमान है। श्री वी० जी० वर्तक ने केन्द्रीय सरकार से प्रतिमाह दो लाख टन खाद्यान्न की मांग की है। इस परिस्थिति में मैं मांग करता हूं कि खाद्य मंत्री कृपया एक वक्तव्य दें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I would also like to share the concern expressed by the hon. Members on the attrocities committed by police on the students and teachers of the Industrial Training Institute in Delhi. The police did not bother to obtain permission from the Principal of the Institute for entering into the premises of the Institute. Government are not prepared to constitute a judicial enquiry into this sad incident. I fear that this attitude of Government will spread unrest amongst students. I demand that the hon. Minister should clarify the position.

We are receiving reports from the eastern districts of Uttar Pradesh regarding development of serious situation by the floods. I request that a Central Team should be sent there to assess the situation so that necessary items like foodgrains and medicine could be supplied to the flood affected persons.

Dr. Laxmina rain Pandeya (Mandsaur) : More than 26 districts of Madhya Pradesh have been facing scarcity conditions due to drought situation and certain districts of the said State have been facing serious difficulties due to excess rains. Similarly, several districts of the State of Rajasthan are in the grip of famine. People are starving. There are reports that starving persons have sold their children to get foodgrains. I request that the Central Government should rush adequate quantity of foodgrains to the affected areas.

During the last two years the prices of the agriculturial inputs and fertilizers alongwith the consumer goods have gone up considerably. The rates of electricity have also raised resulting in heavy burden especially on the farmers. The price of sugar has increased to a large extent while the price of sugarcane has remained static for the last two years. I request that Government should fix new minimum prices for sugarcane and it shoud not be less than Rs. 20 per quintal.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : संयुक्त राष्ट्र, भारत तथा अन्य देशों ने यह निर्णय किया था कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखा जाए किन्तु अमरीका ने दियागो गार्शिया में सामरिक अड्डा बनाना आरम्भ कर दिया है जिससे हिन्द महासागर शांति क्षेत्र नहीं रह सकता। इससे भारत की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इस सम्बन्ध में विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करें कि क्या भारत सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का प्रयत्न कर रहा है जिसमें अमरीका की इस कार्यवाही को रोकने का निर्णय किया जा सके।

दूसरा मामला यह है कि देश में लगभग 30,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो जमाखोरों, चोरबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे प्रदर्शनकारियों पर लुधियाना, आंध्र प्रदेश, मधुबनी आदि अनेक स्थानों पर लाठी प्रहार किया गया है। कई स्थानों पर गोली भी चलाई गई है जिसमें श्री यादव प्रसाद मारे गये। मैं मांग करता हूं कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण तथा जमाखोरों और चोरबाजारी करने वालों के सम्बन्ध में सरकार अपनी नीति को स्पष्ट करें तथा इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

तीसरे, सत्तारुढ़ दल ने घोषणा की है कि वर्ष 1973-74 में भूमिसुधार सम्बन्धी कानून को क्रियान्वित किया जायेगा। किन्तु अभी तक इन कानूनों को लागू नहीं किया गया जिससे भूमिहीन किसानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि कम से कम केन्द्र शासित क्षेत्रों में इन कानूनों को लागू किया जाये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यह सर्वमान्य सिद्धांत बन चुका है कि नीति निर्णय सम्बन्धी घोषणा सर्वप्रथम सभा में की जाएगी। किन्तु आज के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि सरकार ने कार और स्कूटरों आदि मोटरगाड़ियों से सभी मूल्य नियंत्रण वापस ले लिये हैं। मंत्री महोदय ने सभा में वक्तव्य दिये बिना समाचार पत्रों के समक्ष यह वक्तव्य किस प्रकार दे दिया। क्या सरकार बिड़ला आदि बड़े औद्योगिक गृहों के समक्ष झुक गई है ? मंत्री महोदय ! कृपया इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें।

दूसरे, कलकत्ता में विद्यार्थी आन्दोलन कर रहे हैं क्योंकि उनको आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है। मिदनापुर क्षेत्र का दौरा करने के बाद राज्यपाल ने यह रिपोर्ट दी है कि लोग घास खा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार को उपयुक्त कोटा नहीं दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल को आवश्यक खाद्यान्न सप्लाई करेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को आवश्यक खाद्यान्न सप्लाई न किये जाने का उल्लेख श्री दीनेन भट्टाचार्य ने कर दिया है। वहाँ पर राशन घटाकर प्रतिसप्ताह 750 ग्राम कर दिया है तथा अगले सप्ताह और भी कटौती किये जाने की योजना है। पुरुलिया, बंगपुरा और मिदनापुर जिलों में लगभग 50 लाख व्यक्ति गम्भीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

दूसरे, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर की सेवावधि को दो वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है जिससे 21 संसद सदस्यों के हस्ताक्षरों के मामले को निपटाया जा सके।

डा० हरी प्रसाद शर्मा (अलवर) : मैं सभा का ध्यान राजस्थान में विद्यमान अभूतपूर्व अकाल की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। वहाँ पर पहले ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई थी।

हम लोगों की कुछ ऐसी धारणा है कि यह सभा अथवा सरकार राजस्थान की समस्या को ठीक से समझती नहीं है। हममें से कितने लोगों ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों का दौरा किया है तथा कितनों ने जयसलमेर, बिकानेर, और जोधपुर के हालात देखे हैं। अतएव हम लोग समझते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला।

हाल ही में राज्य के मुख्य मंत्री दिल्ली आये थे। केन्द्रीय नेताओं ने उन्हें बताया था. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखे आदि का समाधान राज्य को स्वयं करना चाहिए। निस्संदेह राज्य सरकार ने 10.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी परन्तु वह धन तो बाढ़ों पर ही लग गया।

हमारी समस्या न केवल सूखे एवं बाढ़ों के कारण है अपितु बटवारे के परिणामस्वरूप भी है। 1947 से पूर्व जब भी अकाल पड़ता था व्यक्ति तथा पशु सिन्धु घाटी की ओर चले जाते थे। परन्तु वे अब वहां नहीं जा सकते। इस समस्या का समाधान राष्ट्रीय समस्या के रूप में किया जाना चाहिए। सरकार ने घाटे की अर्थ-व्यवस्था को सीमित करने का निश्चय किया है। हमारे राज्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यदि इस बारे में कुछ न किया गया तो हम भारी कठिनाई में पड़ जायेंगे।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : भावनगर जिले के 900 में से लगभग 600 गांव भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य का मामला है कि गुजरात सरकार इस मामले की ओर ध्यान नहीं देती। फलतः अभावग्रस्त क्षेत्रों में बेरोजगारी फैली हुई है। भावनगर शहर में भी पीने के पानी की कमी है। राहत कार्यों मे विलम्ब किया जाना घातक सिद्ध होगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : दुर्गापुर इस्पात कारखाने में ठेका-श्रमिक व्यवस्था चल रही है जिसके विरुद्ध गम्भीर प्रतिक्रिया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह उक्त संयंत्र में औद्योगिक संबन्धों में सुधार लाने का कार्य करें।

केरल सरकार ने चावल के कोटे में कटौती करके 3 औंस प्रति व्यक्ति कर दिया है। केरल में उचित दर की दुकानों पर वितरण के लिये प्रति मास 85,000 टन चावल की आवश्यकता है। वहां का वार्षिक उत्पादन मांग का 50% ही है। अतएव मेरा निवेदन है कि भूखे मर रहे व्यक्तियों को बचाने के लिये प्रतिमास 85,000 टन चावल भेजा जाये।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I regret that Shri L. N. Mishra is not there while I am raising the matter relating to Railway Budget.

The Government started Gauhati Mail from Bongai Goan. The train would run two days a week and benefit the people. Yesterday, I alongwith certain other M.Ps. travelled in the same train. You would be surprised to know that it had neither fans nor the lights Even water was not available there.

The Government is enhancing the fares but no amenities are being provided.

Similarly there are daily passengers, Government employees who travel from Patna to Ara and from Patna to Jahanabad. They do not get train services at proper time.

Shri Jagdev Prashad was killed and according to newspaper reports it was a political murder.

I would like the Railway Minister and the Home Minister to give statements on these points.

श्री रण बहादुर सिंह (सिधी) : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की बरौनी स्थित कोयला खानों में जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां पर खुदाई बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा की जाती है। इन मशीनों पर कार्य करने वाले सहायक इंजीनियरों के वेतन-मान वातानुकूलित बंगलों में कार्य करने वाले माईनिंग असिसटैंट इंजीनियरों से बहुत कम हैं। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैंने इस महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाया था परन्तु छह महीनों में मुझे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला क्षेत्रों में से बोडी नामक एक में सैक्योरिटी गार्डों को समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता। जबकि शेष में उन्हें समयोपरि भत्ता दिया जा रहा है।

[श्री रणबहादुर सिंह]

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के अत्यन्त पिछड़े क्षेत्रों में विद्यमान और यहां की पूरी प्रक्रिया यांत्रिक है। जहां के लोग जिनकी भूमि कोयला मिलने पर ले ली गई थी बेकार बठे हुए हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : ब्रिटिश नियंत्रित मैसर्स मैकनील एण्ड बैरी लिमिटेड कलकत्ता, नामक एक भारतीय कम्पनी, एक अन्य ब्रिटिश कम्पनी, मैसर्स विलियम्स मैगर एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के साथ मिलने का प्रयास कर रही है। विलय की इस कार्यवाही के बहाने से कम्पनियां भारत सरकार की इस नीति को विफल कर रही हैं कि भारतीय कम्पनियों पर विदेशी नियंत्रण कम करके 40 प्रतिशत कर दिया जाये। सरकार को इस सम्बन्ध में सर्तक रहना चाहिए।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली के छात्रों एवं अध्यापकों पर पुलिस की ज्यादतियों की न्यायिक जांच की जानी चाहिए।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि श्री बी० एम० खिनान ने ताज होटल बम्बई से लन्दन से टेलीफोन नं० 2834680 से सौदों को अंतिम रूप दिया।

मैं गृह मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं तथा इस सौदे को किसी भी कीमत पर रोकने की चेष्टा करनी चाहिए।

मैं रेल मंत्री को हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य देने का आग्रह करता हूं। वित्त मंत्री महोदय से मैकनील एण्ड बैरी कम्पनी पर एक वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : खाद्यान्नों के बारे में उड़ीसा बाहुल्य वाला राज्य है। परन्तु इस वर्ष मानसून की विफलता के कारण उड़ीसा में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। तेरह जिलों में से 10 में अभाव की स्थिति पैदा हो गई है। लोग अधिकांशत: पेड़ों की जड़ें और पत्ते खा कर निर्वाह कर रहे हैं किन्तु प्रशासन यह मानने को तैयार नहीं है कि वहां पर भुखमरी फैली हुई है।

सारे देश में भय फैला हुआ है और लोग बढ़ते हुए मूल्य के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं।

गया में पुलिस ने एक भूतपूर्व मंत्री की हत्या कर दी और अब नाम मात्र के लिए जांच की जा रही है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उड़ीसा को अकाल क्षेत्र घोषित करें और जनता की सहायता के लिए समुचित कार्यवाही करे।

Shri Ishwar Chaudhary (Gaya) : On 5th September, the C.R.P. opened fire on non-violent mob and as a result thereof former Minister Shri Jagdev Prasad was shot down. Prior to that Shri Suraj Narayan Belur was killed by police. These murders are politically motivated.

I request the hon. Minister to get the matter investigated by any judge of Supreme court or a judge from any State.

Shri Chandra Shekhar Singh (Jahanabad) : This block come in my constituency, so I may also be given a chance to speak.

Mr. Speaker : For that you should have given a notice in advance.

Shri Naval Kishore Sinha (Muzaffarpur) : Floods and droughts have created very ruinous condition in Bihar. The Centre is supplying there 40,000 tonnes of wheat every month. But this supply is not sufficient to meet the need of the State. That quantity is hardly able to meet the needs of cities and Industrial areas. The Chief Minister has written a letter to the M.Ps that if they get foodgrains, they can face the situation arises out of floods and droughts.

A broad gauge railway line is being constructed from Lucknow to Samastipur and you have to construct a diversion line there. One or two bridges are constructed there. This causes floods. In such diversions arrangement from out let of water be made.

श्री पी० आर० शिनाय (उडीपी) : कर्नाटक के महाधिवक्ता कृष्णाजल न्याय-धिकरण से विरोध-स्वरूप उठ कर बाहर चले गये थे और कर्नाटक, आन्ध्र तथा महाराष्ट्र राज्यों को जल के नियतन सम्बन्धी न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कर्नाटक में आन्दोलन चल रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

आंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम में ऐसा उपबन्ध है कि प्रभावित पक्ष न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध न्यायाधिकरण में ही स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन के रूप में अपील कर सकता है। अपील की यह प्रणाली है। विधिसम्मत शासन के सिद्धान्तों के भी विरुद्ध हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : कई सदस्यों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की चर्चा की है। परन्तु समग्र देश से सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक पहलुओं पर पर्याप्त चर्चा नहीं की जा सकी है ।

हमारी पांचवीं पंच वर्षीय योजना की आज क्या स्थिति है ? पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित नहीं हो रही है और योजना आयोग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जब हम समतावादी समाज की स्थापना के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, तब योजना आयोग का काम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। योजना आयोग को तत्काल पूरी योजना का वास्तविक पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए ।

विदेश मन्त्री ने एक महत्वपूर्ण संशोधन स्वीकार कर लिया है---मैं इससे प्रसन्न हूं---कि सिक्किम के लोक सभा सदस्य को सिक्किम की जनता द्वारा सीधे चुनाव द्वारा चुना जायेगा। क्या इस प्रकार का मौलिक संशोधन करने से पहले मन्त्री महोदय ने सिक्किम सरकार से इस बारे में सलाह ली थी ? अब सिक्किम संरक्षण-प्राप्त राज्य नहीं रहा है, बल्कि उसे सह-राज्य का दर्जा दिया गया है। क्या संवैधानिक रूप से उन संसद सदस्यों के लिए यह उचित होगा कि वे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ न लें ? संविधान के प्रति निष्ठावान न होते हुए वह "अविश्वास प्रस्ताव", ब्रजट का अन्य मामलों पर किस प्रकार मतदान कर सकेंगे ?

5 सितम्बर को अध्यापक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वान भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। हम शुभ कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इस महत्वपूर्ण दिवस पर दिल्ली और अन्य स्थानों पर छात्रों और अध्यापकों की पिटाई की गई, जो एक शर्मनाक घटना है। अहमदाबाद में गुजरात के राज्यपाल श्री के० के० विश्वनाथन जब टाउन हाल के अन्दर अध्यापकों के सम्मान में भाषण दे रहे थे, उसी समय बाहर अध्यापकों की पुलिस द्वारा पिटाई की जा रही थी। अध्यापकों को सहायता देने के बजाय अध्यापकों के पुत्रों और पुत्रियों को स्कूल और कालेज की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाय। अध्यापकों की सहायता करने के बजाय पुलिस छात्रों और अध्यापकों की पिटाई कर रही है। मैं इसका सख्त विरोध करना चाहता हूं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमानजी, आपने पहले ही कहा है कि नेताजी जाँच आयोग के बारे में पूर्ण बहस होगी। इस बारे में बहस करनी ही होगी ।

मैं नेताजी जाँच आयोग के प्रतिवेदन के कुछ गलत पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता। जस्टिस खोसला ने नेताजी जाँच आयोग के निर्देश-पदों के बाहर जाकर काम किया है। नेताजी और आजाद हिन्द फौज के बारे में अपमानजनक बातें कही हैं। जापान के बारे में कटु बातें कही गई हैं। मेरी भूमिका की भी आलोचना की गई है, जो एक निन्दनीय बात है ।

[श्री समर गुह]

इस रिपोर्ट के पृष्ठ 125 में कहा गया है कि जापानियों को बोस की क्षमता में पूर्ण विश्वास नहीं था कि वह विजय प्राप्त कर लेंगे । पृष्ठ 124 में यह कहा गया है कि जापानी श्री बोस को एक ऐसा व्यक्ति मानते थे, जिनका वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते थे । पृष्ठ 7 में श्री बोस को कठ-पुतली कहा गया है । स्वाधीनता विरोधी लोग उस समय बोस को कठपुतली कहा करते थे ।

टोकियो में युद्ध अपराध न्यायाधिकरण के समक्ष भारतीय प्रतिनिधि डा० राधा विनोद पाल ने अनेक बार वक्तव्यों में यह कहा है कि जब भी सुभाषचन्द्र बोस के नाम का उल्लेख होता था, जनरल तोजो और अन्य उच्च सेनापति खड़े होकर जापानी ढंग से बोस के प्रति सम्मान प्रकट करते थे । श्रीमती तोजो ने स्वयं डा० पाल को बताया था कि उनके पति के शब्दों में "सुभाष बोस भारत के ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण एशिया के महान नेता थे "।

अभी हाल में माइकेल एडवर्ड, हघ रोड और कुछ जापानी तथा जर्मन लेखकों ने अपनी पुस्तकों में नेताजी की पूरीपूरी सराहना की है । किसी ने भी यह नहीं कहा है कि नेताजी जर्मनी या जापान की कठ-पुतली थे । सरकार ने रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है । मैं प्रधान मन्त्री से यह जानना चाहता हू कि क्या उन्होंने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

मेरे विचार में स्वाधीनता संग्राम के महानतम क्रान्तिकारी की भूमिका का महत्व कम करने वाले और उनकी बेइज्जती करने वाले ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इस दोगले व्यक्ति को सरे आम जूते लगवाना क्या अनुचित होगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तेजना में इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए ।

श्री समर गुह : भारतीय देश-भक्ति, राष्ट्रवाद और भारतीय जनता की ओर से सिर्फ मैं यही कर सकता हूं . . .

(तब श्री समर गुह ने आयोग की रिपोर्ट से कुछ पृष्ठ फाड़े और रिपोर्ट को सभा-पटल पर फेंक दिया ।)

(At this stage Shri Samar Guha tore off some pages from the Report of the Commission and threw the Report on the Table.)

आप एक जीवित व्यक्ति को मृत ही घोषित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी बेइज्जती भी कर रहे हैं । आपको देश कभी भी माफ नहीं करेगा ।

और मैं इस प्रकार आक्रोश व्यक्त नहीं करता, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता ।

अध्यक्ष महोदय : इतने आयोग नियुक्त किये जाते हैं और उनकी रिपोर्टें आती हैं । उनसे हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए ।

श्री समर गुह : मैं आपसे हाथ जोड़कर विनय शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने भारतीय जनता की भावनाओं का इस प्रकार सही रूप में प्रदर्शन किया है ।

श्री नुरुल हुडा (कछार) : प्रधान मन्त्री और रेल मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि उन सभी हड़ताली रेलकर्मचारियों को नौकरी पर बहाल कर दिया जाएगा जिन्होंने हिंसक कार्यवाहियों में भाग नहीं लिया था । पिछले साढ़े तीन महीनों से 30,000 रेल कर्मचारियों का भाग्य अधार में लटका हुआ है । इन 30,000 कर्मचारियों में 2300 कर्मचारी उत्तर पूर्व रेलवे के हैं । अभी हाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अनेक रेल कर्मचारियों को नौकरी से हटाये जाने सम्बन्धी आदेश को रद्द कर दिया है, परन्तु फिर भी सरकार ने उन्हें नौकरी पर बहाल नहीं किया है । रेलवे की मांगों पर चर्चा होने से पहले मन्त्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें । मैं यह भी मांग करता हू कि बर्खास्त किये गये सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाय और मई, 1974 की हड़ताल के सिलसिले में गिरफ्तार सभी कर्मचारियों को रिहा किया जाय ।

कछार, कामरूप और ग्वालपाड़ा जिलों में भुखमरी की स्थिति है । मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि आसाम को तत्काल खाद्यान्न और अन्य राहत सामग्री भेजी जाय और सदन को स्थिति से अवगत किया जाय ।

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : मैं निम्नलिखित विषय की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें । कलकत्ता और उसके उपनगरों में स्थिति इतनी गम्भीर और शर्मनाक हो चुकी है कि महिलायें सड़क पर, बसों में या ट्रेनों में यात्रा नहीं कर सकती । खुर्दा पुलिस स्टेशन, कोस्बा क्षेत्र जैसे स्थानों में लड़कियों को खुले आम घसीटा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया और उनके आभूषणों और अन्य सामान को छीन लिया गया । हुगली क्षेत्र में कुछ औरतों के शरीर से साड़ी उतार ली गई । अब पश्चिम बंगाल में नागरिक अपनी पत्नी, पुत्रियों और बहिनों के साथ मुक्त रूप से घूम फिर नहीं सकते । काँग्रेस गतिविधियों के नाम पर लोग अपराध कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बारे में शीघ्र कार्यवाही की जाय, अन्यथा सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल बदमाशों का अड्डा बन जायगा ।

श्री माधुर्य्य हालदार (मथुरापुर) : 6 सितम्बर के 'जुगान्तर' में प्रकाशित समाचार के अनुसार पश्चिम बंगाल के दो मन्त्रियों ने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल के अनेक जिलों, विशेषकर बाँकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर में भूख से मौतें हुई हैं । सुन्दरगंज के कुछ क्षेत्रों में भी भुखमरी की स्थिति है ।

मुझे अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं कि समूचा सुन्दरबन क्षेत्र और 24–परगना अकालग्रस्त है और लोग भूख मर रहे हैं ।

कलकत्ता तथा इसके उपनगरों में राशन व्यवस्था पूरी तरह असफल हो गई है । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मिदनापुर जिले के लोगों को घास खाते हुए देखा है ।

मैं केन्द्रिय सरकार से अनुरोध करता हूं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को अनाज भिजवाने की व्यवस्था की जायेगी अकालग्रस्त क्षेत्रों मे राहत कार्य आरंभ किये जाने चाहिये ताकि लोग भुखे न मरें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अपेक्षा यदि उनमें से सभी सहमत होते हैं....

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामया) : मैंने विरोधी पक्ष के सभी नेताओं को सुझाव दिया था कार्य सूची की मद संख्या 21 को 20 से पहले ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप सभी इस प्रस्ताव पर सहमत हैं ।

माननीय सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास अभी बैलट में आये चार पांच नाम और हैं तथा बहुत-सी पर्चियां हैं । इसके लिये जो समय दिया गया है वह 1 बजे तक समाप्त करने तक का है । मैंने इसमें सबको इजाजत दे दी है, जिनका नाम बैलट में आया है वे पहले बोल लेंगे, उनके बाद दूसरे एक-एक मिनट बोल सकते हैं ।

श्री के० रघुरामैया : क्या इसके लिये कोई समय निश्चित किया गया है या वे 3 या 4 बजे तक बोलते रहेंगे?

Mr. Speaker : The hon. Members may take one minute but not more than one and a half minutes.

Shri Chandrika Prasad.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : On page 2 in "The Times of India", dated the 6th September, there is a heading :

'Semi-starvation condition in Ballia.

I would not like to take much time by reading out the news but I would like to place this newspaper on the Table. I wish the Minister of Home Affairs to conduct an inquiry and make a statement thereon.

The "Veer Arjun" dated the 5th September reports about the joint meeting of the Congress and the CPI at which from bombs were thrown and a few persons were injured. The hon. Minister should get this matter investigated if this matter pertains to naxlaites on poor workers.

The Governor of U.P. toured certain flood affected areas. When he was discussing over the problemes, some undersiable elements created disturbance and tried to insult a legislator. The hon. Minister should make a statement about this situation and take action against the mischief mongers.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : अस्पृश्यता अपराध (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उसे पारित करने के लिये चार घंटे का समय निर्धारित किया गया था और हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा को इस आधार पर बंद कर दिया गया था कि इस विधयक पर चर्चा के दौरान इस विषय पर चर्चा कर ली जायेगी । अब 9 सितम्बर को सत्र समाप्त होने वाला है अत: मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर विचार आरंभ किया जाये ।

श्री एम० कतामुत् (नागापटिटनम) : प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री, राज्य पाल जैसे अतिविशिष्ट व्यक्तियों के स्वामित्व वाले 500 फार्म महरौली में हैं जिनके श्रमिको को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूरी भी नहीं दी जाती है श्रम मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन इस मामले की जांच करे ।

Shri Hari Kishore Singh (Pupri) : The floods are playing havoc in North Bihar and the spectre of drought is looming large over South Bihar. There should be judicial inquiry into the causes of firing that took place at Barkha.

The Government should fix the price of sugarcane at Rs. 18 per quintal.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मत्स उद्योग से प्रति वर्ष देश के लिये लगभग 100 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ।

हम कृषि से लेकर उद्योग तक प्रत्येक व्यवसाय के लिये अखिल भारतीय आधार पर सम्मेलन बुलाते हैं परन्तु मत्स्य उद्योग के लिये आज तक कोई अखिल भारतीय सम्मेलन नहीं बुलाया गया है । अत: भारत के सभी तृतीय क्षेत्रों के मछुओं का सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये इस विषय को समवर्ती सूची में रखा जाये । मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह दिल्ली में केन्द्रिय सम्मेलन आयोजित करे ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The Government should not increase duty on power-looms.

An Advocate-General of Maharashtra has been compelled to resign. Will the Minister of law intervene ?

The people of Bihar are starving. The condition is worst in Santhal Pargana and Monghyr. I would like to know whether one lakh tonne of foodgrains be supplied to Bihar per month ?

30 to 40 per cent of lecturers are likely to be retrenched on account of Three Years Degree Course in Maharashtra. Will the Minister of Education intervene ?

श्री पी० एम० सईद (लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीप समूह) : गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 21 नवम्बर, 1973 को राज्य सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियों में वृद्धि के बारे में वक्तव्य दिया था। सरकार इस बारे में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं कर पाई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय छात्रवृत्तियों में वृद्धि की घोषणा करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह(फूलपुर) : कानपुर और इलाहाबाद के बीच चलने वाली मालगाडियों के गार्डों ने मुझे बताया है कि कुछ गुंडे उन्हें तंग कर रहे हैं। गार्डों की सुरक्षा के बारे में रेल मंत्री ने आदेश भी जारी कर दिये। परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है। दोषी अधिकारियों को दंड दिया जाये तथा आदेश क्रियान्वित किये जायें।

श्री बूटा सिंह(रोपड़) : समूचे देश में हरिजनों पर अत्याचार किये जा रहे हैं और समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। अहमदाबाद में एक निर्दोष लड़की को केवल इसी कारण से मार दिया गया कि उसने किसी सवर्ण व्यक्ति के कपड़े छू दिये थे। मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह मुख्यमंत्रियों के आगामी सम्मेलन में प्रधानमंत्री से अनुरोध करें कि वह सभी मुख्यमंत्रियों को यह महसूस करवायें कि राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। उस विशेष राज्य के महानिरीक्षक (पुलिस) को जांच पूरी होने तक निलम्बित रखा जाये। पोंग बांध क्षेत्र से हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। मंत्री महोदय को इस महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान देना चाहिये।

Shri Ram Hedaoo (Ramtek) : Justice is not being meted out to the people of Vidarbha in Maharashtra. The Maharashtra Government is exploiting the people of Vidarbha. The people of Vidarbha are likely to start agitation from the 2nd October. A separate Vidarbha State should be created without further delay.

Shri Ramachandran Kadannappalli (Kasargod) : I want the Government to make a statement regarding increase in number as well as amount of scholarships for the Schedules Castes and Scheduled Tribes students.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सईद यह प्रश्न उठा चुके हैं। इसकी पुनरावृत्ति न की जाये।

Shri Chandra Shekhar Singh (Jahanabad) : Shri Jagdev Prasad, belonging to Kurtha block and a former Minister of Bihar was shot dead on the 5th September. It is a political murder because the CRP, SDO., Police Inspector, D.S.P. were already present in that rural block.

I request that the whole matter should be got investigated by a Supreme Court Judge on a Parliamentary Committee be constituted for a high level probe. If it is done, the resentment prevailing among people may be removed.

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera) : According to consolidation of Land Act, the surplus land with the landlords should be distributee among the landless but it is not being done. Action should be taken against the officers responsible for this so that the land of the poor people may not be grabbed.

There is devastating flood in North Bihar. Many villages are affected. At several places relief work has not started The district authorities should be asked to take up relief work immediately.

श्री वसंत साठे (अकोला) : आज नियम 377 के अन्तर्गत बोलते हुए श्री मधु लिमये...

उपाध्यक्ष महोदय : इसे वाद-विवाद मत बनाइये।

श्री वसंत साठे : उन्होंने मेरे प्रस्ताव के बारे में कुछ निराधार टिप्पणियां दी...

उपाध्यक्ष महोदय : उस दिन जो हो गया वह अब एक बीती हुई बात है।

श्री तुलसीदास दासप्पा (मैसूर) : कर्नाटक में पश्चिम घाट के पश्चिमी ढ़लानों पर ज़ोरदार बाढ़ आ गई थी। यह समझा गया कि वर्षा आ गई है परन्तु वास्तव में वर्षा नहीं आई है। अतः खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से अनुरोध है कि वह किसी अप्रिय परिणाम निकलने से पूर्व घटनास्थल पर अध्ययन करने के लिये विशषज्ञ दल तुरंत भजें।

बंगलौर में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी० ई० एल०, बी० ई० एम० एल० तथा आई० टी० आई० के कर्मचारियों के वेतनमान का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये।

श्री सिदराम रेड्डी (गुलबर्गा) : गुलबर्गा जिले में सूखे की स्थिति है तथा अन्य भागों में चूहों का प्रकोप है। सरकार इस दिशा में खाद्यान्न देकर तथा चूहों के प्रकोप को दूर करने के लिये तुरंत कार्यवाही करे।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : शोषित दल के महत्वपूर्ण नेता, श्री जगदेव प्रसाद की मत्यु के कारणों की जांच करने के लिये न्यायिक जांच की जानी चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश में सूखाग्रस्त इलाकों में सहायता के लिये कुछ कार्य किया जाना चाहिए तथा वहां उर्वरक भेजे जाने चाहिए।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : उड़ीसा में लगभग अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चावल अनुसंधान संस्थान में शोध-छात्र श्री पद्मनाभन् ने कहा है कि वहां पूर्णतया भिन्न तापमान होने के कारण यदि वर्षा हुई भी तो भी फसल नहीं होगी। सरकार का वसूली आदेश, जो खाद्य नीति के विपरित है वापस लिया जाना चाहिए।

जहाँ लोग जमाखोरी का चावल बाहर निकलवाने के लिये प्रयत्न करते हैं वहाँ पुलिस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राहत कार्यों के लिये केन्द्र से 20 करोड़ रुपये की राशि दी जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो स्थिति गम्भीर हो जायेगी।

पांचवी योजना में परियोजनाओं के लिये जो धनराशि आवंटित की गई है वह सब की सब राज्य सरकारों को दे दी जानी चाहिये ताकि वे खेतिहर मजदूरों को रोजगार प्रदान करने का कार्य आरम्भ कर सकें।

Shri Dhanshah Pradhan (Shahdol) : Shahdol district is facing drought conditions. The Government should seriously think over the problems of the villages. Secondly, Coal mines workers are not getting foodgrains. Their condition is serious. Can we improve production of coal in such a situation.

Shri Ramkanwar (Tonk) : Sir, I would like to draw your attention towards the serious drought conditions in Rajasthan. The crop has been destroyed in almost all the 26 districts the Central Government should provide maximum help to Rajasthan Government in order to enable them to relieve people from the present miseries. Proplc in Rajasthan are dying of starvation.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Minister should make a statement about the police atrocities against the I.T. I. students in Delhi. A statement should also be made about the firing the C.R.P. in Bihar which had regulated in the death of an Ex-Minister.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैंने, बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा लोगों को मारने का प्रश्न उठाया था। बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बहुत बड़ी संख्या में तैनात की गई है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के नृशंस व्यवहार की जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा करायी जानी चाहिये राज्य सरकार द्वारा नहीं क्योंकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस केन्द्रीय सरकार का दायित्व है।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं दोनों मामले निश्चित रुप से गम्भीर हैं और माननीय सदस्यों का इन विषयों के प्रति चिन्तित होना स्वाभाविक है हम तथ्य एकत्र करेंगे और सोमवार को वक्तव्य देने का प्रयास करेंगे ।

गुजरात के बारें में जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने के बारें में सांविधिक संल्कप

STATUTORY ROSULATION RE: CONTINUANCE IN FORCE OF THE PROCLAMATTION ISSUED IN RESPECT OF GUJARAT

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : गुजारत में राष्ट्रपतिशासन की अवधि बढ़ाने के लिये मंत्री महोदय, श्री रामनिवास मिर्धा ने एक सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया है।

गुजरात में सभी ताल्लुकों तथा जिला पंचायतों का कार्यकाल 31 मार्च 1974 को पूरा हो चुका है। गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 303A जोड़ी गई जिसके अनुसार राज्यसरकार को अधिकार है कि सरकार विशेष परिस्थितियों में पंचायतों का प्रशासन चलाने के लिये कुछ अधिकारी नियुक्त कर सकती है। इसके अनुसार सम्बद्ध ताल्लुका/जिला/पंचायतों का प्रशासन ताल्लुक/जिला/विकास अधिकारियों को 6 माह के लिये सौंप दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध सत्तारूढ़ दल के एक वर्ग के उच्चन्यायालय में मुकदमा दायर किया। गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में उक्त आदेश को अवैध घोषित कर दिया है और इस निर्णय के प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्य न्यायालय के याचिका दायर करने का निर्णय किया है।

ताल्लुक, जिलों, पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा निगमों के लिये निर्वाचन न कराने के क्या कारण है ?

वर्षा न होने के कारण गुजरात में बड़ी कठिन परिस्थिति है। खाद्यान्नों, खाद्य तेलों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कुल 18000 गांवों में से 12000 गांवों में अकाल अथवा अभाव की स्थिति है। इन गांवों को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिये और वहाँ तुरन्त राहत कार्य आरम्भ किये जाने चाहिये।

वर्ष 1972-73 में भी गुजरी स्थिति अभावग्रस्त थी और गुजरात सरकारने उस समय 80 करोड रुपये राशि व्यय की थी। सरकार को इस समय 150 करोड़ रुपये की राशि अभाव से राहत दिलाने के लिये व्यय करनी चाहिये। सरकार द्वारा मजदूरों को मजूरी 5 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की जानी चाहिये।

गुजारत में वर्ष 1972-73 में 21 लाख मीटरी टन अनाजों का उत्पादन हुआ जबकीं वहाँ की आवश्यकता 43.1 लाखमीटरी टन थी। वर्ष 1973-74 में 44.4 लाख टन की आवश्यकता के विरुद्ध 34.7 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ और इस वर्ष खाद्यान्नो की आवश्यकता 47.20 लाख टन की है और वहाँ उत्पादन 21 लाख टन ही हो पाया है। सरकार इस कमी को किस प्रकार पूरा करेगी।

कृषि उत्पादन की समस्याओं पर विचार करने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। समिति के गठन के पश्चात प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में एक वक्तव्य दिया कि गुजारत में 18] महीने में खाद्यान्नों का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो जायेगा। परन्तु किस प्रकार ?

पुलिस के गोली चलाये जाने से मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को 5000 रुपये तथा स्थायी रुप से अपंग हुये व्यक्तियों के परिवारों को 2500 का अनुग्रह पूर्वक अनुदान देने का जो कार्य निर्धारित किया गया था उनमें से रंगमालपुर की घटनाओं में न तो 5000 रुपये की राशि किसी को दी गई है और न

[श्री के० एस० चावडा]

2500 रुपये की। बलसार गोली का में जो कांग्रेसी युवक मारे गये उनके परिवारों को तुरन्त सहायता राशि दे दी गई है।

अहमदाबाद में 8 अगस्त को पत्रकारों पर पुलिस के हमले की घटना की न्यायिक जांच करायी जानी चाहिये।

गुजरात में अकाल की स्थिति है। वहां सभी कृषक नलकूपों को बिजली सप्लाई की जानी चाहिये।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : आज जब यह सदन गुजरात में राष्ट्रपति के शासन को छः महीने तक और बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, तो निश्चय ही मुझे यहां इस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुये गौरव अनुभव हो रहा है। आज इस अवसर का प्रयोग मैं गुजराती भाषा में अपना पहला भाषण देने के लिए करना चाहूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : यहां भाषान्तरण की कोई व्यवस्था नहीं है। हम इनकी बात को नहीं समझ पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह समस्या तो मेरी भी होगी। परन्तु उन्होंने इसके लिए मेरी अनुमति मांग ली है। नियमों के अन्तर्गत यह ऐसा कर सकते है। वह अपने भाषण का अंग्रेजी अनुवाद दे देंगे। हम गुजराती तथा अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं के लिए भाषान्तरण की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील है।

श्री पी० जी० मावलंकर : गुजराती, हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 15 भाषाओं में से एक है। तथा यह भाषा साहित्यिक दृष्टि से काफी समृद्ध तथा विकसित भाषा है। गुजारत राज्य में ही नहीं अपितु सारे भारतवर्ष में 2 करोड़ से भी अधिक लोग इस भाषा का प्रयोग करते है। अतः हमारे मन में इस प्रकार की कोई भावना नहीं होनी चाहिये कि गुजारती कोई अविकसित भाषा है। यह भाषा अपनी मधुरता के लिए काफी प्रसिद्ध हैं तथा इसी भाषा ने हमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, तथा ठाक्कर बापा जैसे अनेक महापुरुष दिये है। अतः गुजारती अपने आप में काफी समृद्ध भाषा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें लोकसत्ता में गुजराती भाषा के भाषान्तरण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए तुरन्त अपेक्षित कदम उठाने चाहिये।

गुजारत के बारे में मैं यह उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता कि हमारी केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजराती भाषा, तथा गुजारत वासियों के हितों की निरन्तर अवहेलना की जा रही है। शासक-दल तथा हमारे "दिल्ली दरबार" द्वारा उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। आखिर क्यों? गुजरात भारत का इतना ही अटूट अंग है जितना कि कोई अन्य राज्य। भारत की समृद्धि तथा उन्नति में गुजरात राज्य का योगदान अन्य किसी राज्य के योगदान से किसी प्रकार कम नही रहा है। परन्तु इसके बावजूद भी गुजारत के लोगों के हितों की अवहेलना क्यों की जाती है। आज गुजारत राज्य की अनेक समस्यायें दिल्ली में अनिर्णित पड़ी है। नर्मदा जल विवाद, नेचुरल आयल के रायल्टी देने का प्रश्न, भावनगर-तारापुर रेलवे लाईन सुविधा, आदि अनेक ऐसे मामले है जिनके बारे में केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय नही किया जा रहा है। केवल इतना ही नही केन्द्रीय मंत्रिमंडल में गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी नही है। मैं कांग्रेस सरकार को सतर्क करना चाहता हूं कि उसे गुजारत के प्रति अपने इस रवैये में तुरन्त परिवर्तन करना चाहिये। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उसे उन्हें व्यवहारिक रुप देना चाहिये ताकि गुजरात के प्रति उनके स्वस्थ दृष्टिकोण तथा स्नेह का प्रमाण हमे प्राप्त हो सके।

Mr. Deputy Speaker, Sir, ther is rapid development of Hindi language in Gujarat and hence I feel that immediate Hindi translation and communication facilities should be made available in the Gandhinagar Secretariat.

The atrocities on Harijans have been referred by my hon. friend Shri Chavda. It is really a matter of pity that such happenings are taking place in a state which produced a good number of Social reformers such as Shir Gandhiji and thakkar Baba who always worked or the uplift of Harijans. I wish that some concrete steps should be taken by the Government and administrtion in Gujarat for the uplift and welfare of Harijans.

Now-a-days Gujarat is confronted with serious drought and this has been highlighted by a number of newspapers in the State. Many a time the people do not get drinking water jor 5 to 10 days. People are moving from their homelands to other places because of water scarcity. This is the situation after 27 years of independence. A very large number of cases are lying pending in the courts of Gujarat. No heed is being laid to the slum clearance jobs in the State. I think, it is the hightime for the Government to take up all these things expediously.

मेरा अगला निवेदन यह है कि गुजरात के अनिश्चित काल के लिए लोकप्रिय शासन से वंचित नही रखा जाना चाहिये । अब वहां तुरंत चुनाव करवाये जाने चाहिये । राष्ट्रपति शासन को अधिक समय के लिए लटकाया नही जाना चाहिये क्योंकि इससे नौकरवाद को बढ़ावा मिलता है। वह लोग मनमाने ढंग से शासन चलाने में लगे रहते है। गुजारत के पासपोर्ट कार्यालय में गुजारती जानने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिये ।

"नव निर्माण" द्वारा कुछ मांगें प्रस्तुत की गई है जोकि कई प्रकार से उचित है । खाद्यान्नों तथा तेलों की कीमते बजाये घटने के बढ़ रही है। राज्य में जनता तथा पुलिस के सम्बन्ध संतोषजनक नही है। पुलिस ने रतनपुर के एक व्यापारी को गलती से गिरफ्तार कर लिया तो फिर पांच दिन तक नगर में हिंसा का बोलबाला रहा । इसी प्रकार वी० वी० जान कमेटी की "उच्च शिक्षा सम्बन्धी" रिपोर्ट शीघ्र ही माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा सदन के सभा पटल पर रखी जानी चाहिये । अन्ततः मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बार राज्यपाल के सलाहकार अपनी सीमा से आगे बढ़ कर भी कुछ कार्य कर लेते है। अतः यह एक संवैधानिक प्रश्न है कि क्या राज्यपाल का सलाहकार, राज्यपाल की इच्छा के विरुद्ध भी कोई कर सकता है या नही । इस प्रश्न की ओर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिये । मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि आकाशवाणी के प्रसारण विभाग में श्री ए० एन० मेहता को गुजारत किसने भेजा तथा उनकी प्रतिनियुक्ति किस आधार पर की गई ?

मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व इस बात के लिए गुजरातवासियों की प्रसन्नता को व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने हमारी अपील को स्वीकार किया और सरदार विठ्ठलभाई पटेल की जन्मशताब्दी मनाने के लिए गत वर्ष से वहां कुछ कार्य किया जा रहा है । मुझे आशा है कि यह शताब्दी अगले वर्ष 31 अक्तूबर को पूर्ण उत्साह से मनाई जायेगी ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): Mr. Deputy Speaker, Sir a resolution has been moved for extension of President's rule in Gujarat for a further period of 6 months. May I know whether this will be the last extension or further extension would also be sought in future. The people of Gujarat got quate frustrated over the agitations that took place there. As a result thereof the Gujrat Assembly now dissolved. But even after the dissolution of the Assembly the grievances of the people have not been removed. What is the justification of dissolving the Assembly when the Government is not competent enough to do away with the miscries of the people? There is no propriety in extending the President's Rule in Gujarat for a further period of six months.

Government has admitted many a times that they are not afraid of holding elections in Gujarat. But I doubt the intention of the Government. The reason for not holding elections is that the Government is really afraid of elections (*Interruptions*). It is being

[Shri Janeshwar Mishra]

said that since the drought situation is prevalinig there it would be improper to hold elections now. I want to know who is responsible for the present situation? The power is vested in the Government and not in the people. The fact is that Government has failed miserably in their duties.

Harijans and news correspondents were beaten up by the police in Gujarat. Do you want to extend the period of President's Rule to let loose atrocities on innocent people? I request that extension should not be granted. Arrangements should be made to hold elections in Gujarat within next two months.

I oppose the resolution and request that it should be withdrawn.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कल मैंने संवैधानिक तथा प्रक्रिया सम्बन्धी पहलू पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और आपने माना था कि सरकार को "आज या कल" स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या मंत्री महोदय आज स्पष्टीकरण देंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न के बारे में स्पष्टीकरण वित्त मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि यह स्पष्टीकरण शीघ्र ही दिया जाएगा।

गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि में 6 मास की वृद्धि करने पर सदन में चर्चा हो रही थी। सदस्यों ने वहाँ चुनाव करवाने में विलम्ब तथा अवधि बढ़ाने के कारण जानने चाहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं बतलाना चाहता हूं कि चुनाव करवाने से पूर्व जनगणना के आधार पर निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करना होता है। परिसीमन आयोग ने संसदीय तथा विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और समायोजन के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव पेश कर दिए हैं और ये प्रस्ताव प्रकाशित भी हो चुके हैं। अब परिसीमन आयोग के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को अन्तिम रुप दिया जाएगा। सभी प्रकार की आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा। राज्य में हिंसात्मक घटनाओं के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरुप परिसीमन आयोग की बैठक नहीं बुलाई जा सकी। परिसीमन आयोग का अन्य राज्यों का दौरा करने का कार्यक्रम है जो अक्तूबर तक चलेगा। इसके बाद गुजरात में परिसीमन का कार्य शुरू हो जाएगा।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : इंग्लैंड में चुनाव तत्काल कराए जाते हैं। सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं पहले ही विलम्ब के कारण बता चुका हूं। इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि परिसीमन कार्य पूरा होते ही नये निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर नई मत-दाता सूचियां बनाई जाऐंगी और इसके बाद चुनाव करवाऐंगे चुनाव देर से करवाने का हमारा कोई विचार नहीं है।

श्री के० एस० चावड़ा : तालुक तथा जिला पंचायत और नगरपालिका तथा नगरनिगम के चुनाव न करवाने का क्या औचित्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री महोदय को अपनी बात कहने दें।

श्री राम निवास मिर्धा : जहाँ तक गुजरात में अभाव की स्थिति का प्रश्न है, संकल्प पुरःस्थापित करते समय मैं तत्सम्बन्धी आंकड़े दे चुका हूं। गुजरात में स्थिति बहुत गम्भीर है। बड़े बड़े क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा हुई है। इसलिए वहाँ अभाव की स्थिति विद्यमान है। कच्छ आदि क्षेत्रों में तो

गत तीन-चार वर्षों में अभाव की स्थिति बनी हुई है। मैं किसी भी तथ्य को छिपाना नहीं चाहता और मैंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

सभी कलेक्टरों को हिदायतें जारी कर दी गयी हैं कि वे सरकारी मंजूरी की प्रतीक्षा न करें। जिन जिलों में 5 इंच से कम वर्षा हुई है, वहाँ औपचारिक रुप से अकाल घोषित किये बिना ही राहत कार्य शुरू कर दिया जाये।

धनराशि का जहाँ तक संबंध है, 5 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही खर्च की जा चुकी है और राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि उचित राहत कार्य करने के लिये कार्यवाही की जायेगी। सरकार भी यह सुनिश्चित करेगी कि अकालग्रस्त क्षेत्रों को उचित राहत मिले चाहे इसके लिये योजना प्राथमिकताओं पुनर्विघातक करना पड़े अथवा नये संसाधनों को जुटाना पड़े। राज्य सरकार ने संसाधनों को जुटाने के लिये पहले ही कदम उठाये हैं।

6 सितम्बर, 1974 को हुए प्रेस सम्मेलन में गुजरात के राज्यपाल ने घोषित किया है :

"स्थिति का सामना करने के लिये राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और जिला कलेक्टरों को हिदायतें दी गई हैं कि जहाँ आवश्यक हो वहां राहत कार्य शुरू कर दिया जाये..."

डा० महिपतराय मेहता (कच्छ) : वहां पर कोई भी राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है। कच्छ में 19 राहत कार्य योजनायें घोषित की गई है लेकिन एक भी पेय जल योजना शुरू नहीं की गई है और पशुओं को कोई चारा नहीं दिया गया है।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं दोबारा आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार अपने समस्त संसाधनों का उपयोग करेगी और अपेक्षित सहायता प्रदान करेगी। विधान संबंधी परामर्शदात्री समिति की पिछली बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये इन सभी मामलों पर भली भांति विचार-विमर्श हुआ था और अहमदाबाद में जो तीसरी बैठक होगी, उसमें इन सभी बातों का पुनर्विलोकन किया जायेगा और मुझे विश्वास है कि जो कार्यवाही हम करने जा रहे हैं इससे माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे। माननीय सदस्य इस सदन में अथवा पत्रों के माध्यम से जो कुछ कहते हैं उस पर गम्भीरता से विचार किया जाता है और उनके अनुरोध को जहां तक संमत हो मान लिया जाता है। कच्छ के विकास और वहां पर पेय जल संबंधी प्रश्नों को उठाया गया है। कच्छ एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां निरन्तर अकाल तथा सूखा पडता है और यही स्थिति जामनगर में भी है। डा० मेहता की यह मांग है कि कच्छ के लिये पृथक विकास बोर्ड होना चाहिये। वहां पर केवल एक बोर्ड की स्थापना कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो जायेगा। सवाल यह है कि इस क्षेत्र के लिये कितनी धनराशि आवंटित की जा सकती है। गुजारत के अन्य क्षेत्रों से कच्छ को प्रति व्यक्ति अधिक प्राप्त हो रहा है। 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गुजरात की कुल जनसंख्या का 69 प्रतिशत गुजरात में, 28 प्रतिशत सौराष्ट्र में और 3 प्रतिशत भाग कच्छ में रहता है। विकास कार्यों में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। सूखाग्रस्त क्षेत्र राहत कार्यक्रम इन क्षेत्रों की सहायता करने के लिये बनाये गये हैं ताकि इनका विकास हो सके और भविष्य में वहां सूखा न पड़े। इस कार्य के लिये उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान की गई है ताकि वे सूखे की स्थिति का सामना कर सकें।

गुजरात में शीघ्र चुनाव कराना संभव नहीं है। इसलिये हमें इस संकल्प को लाना पड़ा है और स्पष्ट की गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह सदन इसे पारित करेगा।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मैंने एक प्रश्न यह उठाया था कि रमनालपुर में मारे गये दो हरिजन के परिवारों को केवल 1,000/– रुपये का अनुग्रहपूर्वक भुगतान क्यों किया गया जबकि नवनिर्माण आन्दोलन में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को 5,000/– रुपये की राशि दी गयी थी।

डा० महिपतराय मेहता : माननीय मंत्री महोदय ने ठीक कहा है कि विकास बोर्ड की स्थापना करने से ही उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है अपितु इसके लिये धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। धनराशि के आवंटन के लिये प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 372 के अन्तर्गत विकास बोर्ड की व्यवस्था की गई है। सीमा आयोग तथा इस सदन की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा इस आशय का अश्वासन दिया गया था।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न और निवेदन यह है कि कुछ सदस्यों ने अहमदाबाद में पिछले महीने 25 पत्रकारों के पीटे जाने संबंधी मामले को स्थगन प्रस्ताव के रुप में उठाया था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने विशेष रुप से निदेश दिया था कि गृह मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें। किन्तु इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दूसरे मैंने यह अनुरोध किया था कि उच्च शिक्षा के बारे में वी० वी० जान समिति की रिपोर्ट शिक्षा मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखी जाये। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है।

श्री राम निवास मिर्धा : यह सच है कि रमनालपुर दुर्घटना में मारे गये हरिजनों के परिवारों को 5,000 रुपये से कम की राशि अनुग्रहपूर्वक भुगतान के रूप में दी गयी है। लेकिन इसके अतिरिक्त इन्हें अन्य सुविधायें जैसे मुफ्त भवन सामग्री, कपड़े, बर्तन तथा इसी प्रकर की चीजें दी गयी थीं। हमने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि रमनालपुर में हुई दुखद दुर्घटना के पीड़ितों को अधिक तथा पर्याप्त राहत दी जानी चाहिये।

पिछड़े क्षेत्रों को विकास के बारे में हम प्राथमिकता देते हैं और राज्य के अन्य भागों से वहां प्रति व्यक्ति अधिक धनराशि का नियतन करते हैं। उस क्षेत्र की विशेष समस्याओं के बारे में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत जो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, ध्यान दिया जायेगा। पांचवी योजना में इस कार्यक्रम के लिये 30 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय रखा गया है। केन्द्रीय सहायता भी उचित सीमा तक प्रदान की जायेगी।

उच्च शिक्षा संबंधी वी० वी० जान समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को हाल ही में मिली है और वे इसका अध्ययन कर रह हैं।

पत्रकारों के पीटे जाने के बारे में, जैसा मैंने उल्लेख किया है, मुझे पहले नोटिस नहीं दिया गया है। अन्यथा इस बारे में मैं एक विस्तृत विवरण लेकर उपस्थित होता। इस मामले की पूरी जांच के लिये श्री चन्द्रमौली को नियुक्त किया गया है। सरकार ने इस मामले को गम्भीरता से लिया है। यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो सरकार उस पर कड़ी कार्यवाही करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 सितम्बर, 1974 से और 6 मास की अवधि के लिये जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

The Resolution was adopted.

ब्याज-कर विधेयक

INTEREST-TAX BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ दशाओं में ब्याज पर विशेष कर आधिरोपित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्तावित कर, जिसे "ब्याज-कर" कहा जायेगा, 7 प्रतिशत की दर से लगाया जायेगा। इस कर को स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा इसके सहायक बैंकों 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों, 40 गैर-राष्ट्रीयकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, 13 विदेशी बैंकों तथा 14 राज्य सहकारी बैंकों पर लगाया जायेगा।

निर्धारण वर्ष 1975-76 और बाद के निर्धारण वर्षों से सम्बद्ध किसी परिकलन वर्ष में अनुसूचित बैंकों को मिलने वाले ब्याज पर "ब्याज-कर" लगाया जायेगा। तथापि 1 अगस्त, 1974 से पूर्व प्राप्त ब्याज को कर सूची में शामिल नहीं किया जायेगा। सरकारी प्रतिभूतियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों कम्पनियों, अथवा निगमों द्वारा जारी की गई अन्य प्रतिभूतियों प्रस्तावित कर के क्षेत्र में शामिल नहीं की जायेंगी।

ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा एक अनुसूचित बैंक द्वारा दूसरे अनुसूचित बैंक को दी गई अग्रिम राशि पर कर नहीं लगाया जायेगा। आय-कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों की कर योग्य आय की गणना करते समय इन बैंकों द्वारा दिये गये "ब्याज-कर" को घटा दिया जायेगा।

"ब्याज-कर" दो छमाही किश्तों में अग्रिम दिया जायेगा। इनमें से एक किश्त 15 सितम्बर और दूसरी 15 मार्च को दी जायेगी। चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित वाणिज्यिक बकों पर 15 मार्च, 1975 को अथवा उससे पहले ब्याज-कर की केवल एक किश्त देय होगी और इसमें अगस्त से दिसम्बर, 1974 के पांच महीनों में हुए ब्याज को शामिल किया जायेगा।

इस विधेयक में उन मामलों में जुर्माना लगाने की व्यवस्था है जहां अग्रिम दिया गया "ब्याज कर" 85 प्रतिशत से कम है। यह जुर्माना 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा। बैंकों पर भी उन मामलों पर जुर्माना लगाया जायेगा जहाँ ब्याज कर अग्रिम नहीं दिया गया है।

अनुसूचित बैंकों को प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिये 30 जून से पूर्व वसूल योग्य ब्याज की एक विवरणी आय कर अधिकारी को देनी होगी। ब्याज कर को बकाया राशि और विधेयक के अन्तर्गत लगाया गया जुर्माना उसी प्रकार वसूल किया जायेगा जिस प्रकार आय कर की बकाया राशि वसूल की जाती है।

प्रस्तावित कर से आर्थिक तथा वित्तीय दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे उधार धनराशि की लागत बढ़ जायेगी और सरकारी राजस्व की प्राप्ति होगी।

इस विधयक में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 का संशोधन करने की व्यवस्था की गई है।

यह एक संक्षिप्त, सहज तथा विवाद, रहित विधेयक है और मुझे विश्वास है कि इसे सदन का पूरा समर्थन प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि कुछ दशाओं में ब्याज पर विशेष कर अधिरोपित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : The hon. Finance Minister while moving the Bill has stated that the object of the Bill is to impose a special tax on the total amount of interest received by scheduled Banks on loans and advances made in India. Government has brought forward many Bills with the objective of curbing inflation but it has miserably failed to check inflation. The prices of essential commodities like wheat and sugar have gone up to an alarming level.

[Shri Sarjoo Pandey]

This Bill would not discourage industrialists and monopoly houses from taking loans from the banks whatever be the interest rate. It has been mentioned that the Bill would bring revenue for public exchaquer. But in my opinion a letter method would be to recover the income tax arrears amounting to crores of rupees.

No useful purpose would be served by bringing in this measure. Although Government is claiming that they want to bring about socialistic pattern of society but in practice the Government is following the path of capitalism. Government have ruined the economy of the country. Law and order situation in the country is deteriorating. Prices are increasing at a very rapid rate. Therefore, there should be a basic change in our outlook if we want to improve our economy.

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : इस विधेयक का प्रारूप भली-भांति तैयार किया गया है और इसकी क्रियान्विति में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इस विधेयक के दो मुख्य उद्देश्य हैं प्रथम तो इससे सरकार के राजस्व में 60 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि होगी; दूसरे बैंकों से उधार ली जाने वाली राशियों की लागत बढ़ जाएगी।

सरकार की आय और व्यय में बड़े अन्तर को देखते हुए राजस्व को बढ़ाना अति आवश्यक था। दूसरे यह उपाय इसलिये किया गया है कि क्योंकि वर्ष 1974-75 में सरकार ने 126 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था जो रखी है उसे इसी सीमातक ही रखा जाये। यह विधेयक उसी दिशा में एक सही कदम है क्योंकि इससे उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे मुद्रास्फीति का दबाव कम होगा।

इस कर की घोषणा किये जाने से पूर्व भी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर केवल उन मामलों को छोड़कर जिनके बारे में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है 11 प्रतिशत से बढ़ा कर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी गयी थी और चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत छूट प्राप्त वस्तुओं पर दिए जाने वाले ऋण की न्यूनतम दर भी बढ़ा कर 13 से 15 प्रतिशत कर दी गई थी।

अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर को भी 15% से 18% किया गया था।

इसके साथ अनुसूचित बैंकों द्वारा भारत में ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज से अर्जित आय पर कर लगाया गया है। बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों आदि पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। बैंक ऋण से माल सूचियों पर नियन्त्रण रहता है। इस समय अनुमान है कि माल सूचियां कुल उत्पादन का लगभग 45% हैं। अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि $33\frac{1}{3}$% अधिक माल सूचियों से अधिक पर बैंक ऋण नहीं दिये जाने चाहिये। कम्पनियां अपनी क्षमता के पूर्ण उपयोग मशीनरी के अधिक सुचारू रखरखाव द्वारा सूचियों की इस दर में कमी प्राप्त कर सकती हैं।

इस उपाय के बारे में मेरा सुझाव है कि धन बाजार के असंगठित क्षेत्र पर भी इसी प्रकार का कर लगाया जाये। यदि ऐसा नहीं दिया यदि ऐसा नहीं किया जाता तो यह बैंकों के साथ अन्याय है। बैंकों द्वारा बचत संसाधन जुटाने पर इस का प्रभाव पड़ेगा। इस बारे में मेरा यह भी सुझाव है कि धन बाजार के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र को स्वीकृत करने के भी उपाय किये जाने जिससे ऋण व्यवस्था पर सरकार का अधिक नियन्त्रण हो सके। इसके बिना मुद्रा-स्फीती विरोधी कार्यक्रम से अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती।

Shri R. V. Bade (Khargon) : In the first instance interest rate was increased from 11% to $12\frac{1}{2}$% and now 7% further tax has been imposed. It has been said that this has been done in order to control inflation. Inflation has increased to a great extent and it is a small scheme. It has also not been shown how much revenue is likely to become available through this measure. This tax would affect agriculturists and common man. Moreover this

would apply to Public sector Banks alone. It is not applicable on Private Sector Banks. The reasons for this have not been disclosed. It is interest on loans and advances. I therefore oppose this measure.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फूलपुर) : यह प्रयास बहुत ही स्वागत योग्य है। देश की सस्ती दर पर पूंजी सप्लाई की नीति के कारण देश में सट्टेबाजारी के लिए माल जमा करने की प्रवृत्ति तो बढ़ी ही परंतु इससे बक खातों में बचत की प्रवृत्ति भी प्रोत्साहित हुई। इससे पूंजी की मांग में वृद्धि होती गई और कम्पनियों में साम्य पूंजी के स्थान पर ऋण पूंजी लगाने की प्रवृत्ति बढ़ी।

आज मुद्रा-स्फीति की दर 30% है परंतु इसके विपरित बैंकों द्वारा 10% ब्याज पर धन उपलब्ध किया जा रहा है। यह धन समाज के निर्बल वर्गों व छोटे व्यापारियों को नहीं मिल रहा अपितु बड़े एवं संगठित व्यापारिक घरानों को इसका लाभ मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस बारे में स्पष्ट रूप से अपने विचार बताये।

जहां तक ऋण पर गुणात्मक नियन्त्रण की बात है ऋण की वर्तमान नीति समुचित नहीं है। एक ओर कारों की खरीद के लिए धन दिया जाता है परंतु दूसरी और पम्पिग सेटों की खरीद के लिए पैसा नहीं दिया गया। राष्ट्रीय प्राथमिकताएं नियत करते समय आवश्यक अथवा गैर आवश्यक क्षेत्रों की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये। गैर आवश्यक क्षेत्र के लिए बैंक के ब्याज की दर बढ़ा कर बाजार दर पर की जा सकती है।

मेरा अनुरोध है कि दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज की दर को 9 से 15% करने का ऋण लेने की प्रवृत्ति पर समुचित प्रभाव पड़ेगा। यह बात गत वर्ष के आंकड़ों और इस वर्ष इन उपायों को लागू करने के पश्चात के आंकड़ों से स्पष्ट हो जाती है।

हमारी अर्थ व्यवस्था में आज ऐसी बहुत सी धनराशि है जो आयकर विवरणियों में दर्ज नहीं है। इस बारे में मेरा अनुरोध है कि आयकर विवरणियों को सार्वजनिक दस्तावेज बनाया जाये इन को गुप्त रखने से उनमें हेराफेरी के अवसर मिलते हैं। यह एक बहुत बड़ा सामाजिक हथियार सिद्ध हो सकता है।

श्री जे० एम० माता गौडर (नीलगिरी) : *सरकार ने 14 राज्य सहकारी बैंकों पर भी ब्याज-कर प्रस्तावित किया है। यह बहुत ही दुःखदायी बात है। राज्य सहकारी बैंकों द्वारा जिला सहकारी बैंकों को ऋण एवं अग्रिम दिये जाते हैं और वे जिला सहकारी बैंक आगे वह राशि ऋण के रुप में कृषकों को उपलब्ध करने ह। स्वतन्त्रता के पश्चात से सहकारी बैंकों ने कृषकों को सूदखोरों से बचाया है परंतु इस के पश्चात कृषकों को ऋण अधिक ब्याज पर प्राप्त होगा।

तमिलनाड् राज्य सहकारी बैंक की ब्याज से वार्षिक आय 3.76 करोड़ रु० है। उस बैंक को 26.32 लाख रु० ब्याज कर के रुप में देने होंग। बैंक इस राशि का भार वहन नहीं कर सकता अतः स्वाभाविक है कि इसके भार को कृषकों पर लादा जायेगा। इस प्रकार इस का प्रभाव सीधे कृषक पर पडने वाला है। उसे ऋण पर अधिक ब्याज देना पड़ेगा।

विधेयक के खंड 28 के अनुसार रिजर्व बैंक किसी भी अनुसूचित बैंक को इस विधयक की पारिधि से छूट दे सकता है। अखिल भारत राज्य सहकारी बैंक फेडरेशन ने मांगे की है कि राज्य सहकारी बैंकों को इस खंड के अन्तर्गत छूट दी जाये। मेरा अनुरोध है कि देश में सहकारी ऋण आंदोलन को जीवित रखने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को इस की परिधि से छूट दी जाये।

---

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री जे० एम० माता गौडर]

सरकार इस राशि की वसूली आयकर के बकाया थी वसूली में कडाई के द्वारा ही कर सकती है। इसके साथ ही बड़े औद्योगिक घरानों की ओर अग्रमों के बकाया की वसूली के लिए भी उपाय किए जाएं। बड़े औद्योगिक गृहों की कम्पनियों की ओर 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के 29 जून 1973 को 186% करोड़ के अग्रिम बकाया थे।

एक ओर आज आयकर के अपवंचन दोहरी लेखा बहीया आदि के लिए बड़े बड़े एकाधिकार घरानों पर छापे मारे जा रहे हैं दूसरी ओर सैकड़ों करोड़ रुपये उन्हें ऋणों व अग्रिमों के रूप में दिये जा रहे हैं। यदि सरकार इन घरानों के प्रति कडाई बरत कर उनसे अग्रीमों की बकाया राशियां वसुल कर ले तो इस कर की आवश्यकताही नहीं रहेगी।

श्री नटवरलाल पटेल (मेहसाना) : सहकारी बैंकों की ब्याज-आय पर कर लगाना चिंतनीय है। सरकार को राज्य सहकारी बैंकों को इस विधेयक की पारिधि से छूट देनी चाहिये। इस पर का भार अन्ततः जिला सहकारी बैंकों और उनसे आगे ग्राम सहकारीताओं और किसानों पर पडने वाला है। सहकारी बैंकों पर यह भार अनुचित है अतः माननीय मंत्री को इस समस्या पर विचार करके राज्य सहकारी बैंकों को इस विधेयक की परिधि से छूट दी जाये।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : हमारे देश की अर्थ व्यवस्था आज पूर्णतया अराजकता की स्थिति बन रही है। सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह स्वयं इन उपायों के उद्देश्यों के प्रतिकूल हैं मुद्रास्फीति को रोकने और अर्थ व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए हमने दो विधेयक पारित किए हैं। यह उपाय भी सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए है। परन्तु इस विधेयक का अन्ततः सामान्य जनता पर प्रभाव पड़ेगा। इससे उसकी कठिनाईयों में वृद्धी होगी।

विधेयक के खंड 28 के अंतर्गत किन्हीं अनुसूचित बैंकों व सहकारी बैंकों को इस विधेयक की पारिधि से छूट दी जा सकती है। यदि सहकारी बैंकों को इससे छूट नहीं दी गई तो किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः सहकारी बैंकों को इस विधेयक से छूट दी जाय।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : आज देश में गैर-सहकारी बैंकों द्वारा भी कृषि ऋण उपलब्ध किया जा रहा है। सहकारी आन्दोलन द्वारा कृषि ऋण उपलब्ध किए जा रहे हैं तो सरकार समझती है कि ऐसा समय आ गया है कि उन पर कुछ ब्याज की भिन्नता की दरें लागू हों। यह ठीक है कि सहकारी बैंकों को ब्याज पर कर देना पड़ेगा। परंतु सरकार अनुभव करती है कि वे बैंक 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को दिए गए ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज की अधिक दर लगाये। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पहले ही छोटे व सीमान्त किसानों को ब्याज की कम दर पर ऋण दिया जाता है। अतः इन सहकारी बैंकों को भी छोटे व बड़े किसानों के लिए ब्याज की दर अलग-अलग रखनी चाहिये। ब्याज पर कर के रूप में उन्हें जो राशि अदा करनी पड़ेगी उसकी पूर्ति बड़े किसानों से ब्याज की अधिक दर लेकर की जा सकती है। फिर आज की परिस्थितियों में जबकि सारे ब्याज ढांचे में परिवर्तन किया जा रहा है और ऋण के रूप में मिलने वाली राशि को कुछ महंगा बनाया जा रहा है तो सहकारी बैंकों द्वारा इस मामले में छूट का दावा नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ दशाओं में ब्याज पर विशेष कर अधिरोपित करने वाले विधेयक पर विचा किया जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2--पंक्तियों 18-19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

(9) "scheduled bank" means the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955, a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or any other bank, being a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934".

[Shri Yeshwantrao Chavan]

"(9) "अनुसुचित बैंक" से अभिप्रेत है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टैट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 मे यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक, बैंक कारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण), 1970 की धारा 3 के अधीन गठित तस्थानी नया बैंक का कोई अन्य बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधीनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित है ;"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2, as amended was added to the bill.

खण्ड 3-30, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड दिये गये ।

Clause 3-30, Clause 1, Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक

ESSO (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS IN INDIA) (AMENDMENT) BILL

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाये"

मैं 2 सितम्बर, 1974 को पुरःस्थापित एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक पर विचार करने तथा उसे पास करने का प्रस्ताव करता हूं ।

[श्री शाहनवाज खां]

सरकार ने एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1974 के द्वारा एस्सो ईस्टर्न इन्कारपोरेशन के सभी अधिकारों आदि का अर्जन किया था उस अधिनियम की धारा 13 में व्यवस्था थी की एस्सो ईस्टर्न इन्कारपोरेशन द्वारा भारत में सेवा बिक्री आदि के बारे में जो भी ठेका किया गया था, यदि उसे 13 मार्च, 1974 से 180 दिन की अवधि के भीतर समाप्त कर दिया गया तो वह केन्द्रीय सरकार अथवा सरकारी कम्पनी पर लागू होगा। उसमें ठकों के समाप्त करने के बारे में प्रक्रिया का निर्धारण था। काम की प्रकृति को देखते हुए 180 दिन की निर्धारित अवधि में उनकी संवीक्षा नहीं की जा सकती है। अतः उस अवधि को 6 मास और बढ़ाना आवश्यक हो गया है जिससे कि सभी ठेकों की संवीक्षा का काम पूरा किया जा सके।

श्री नुरुल हुडा (कछार) : यह विधेयक महत्वपूर्ण सरकारी नीति के बारे में है। तेल उद्योग के पूर्ण राष्ट्रीयकरण की मांग के बावजूद सरकार ने कम्पनी को 26 प्रतिशत साम्य पुंजी स्वीकार की। तेल उद्योग पर विदेशी एकाधिकार का नियन्त्रण है। इसी को देखते हुए इसके पूर्ण राष्ट्रीयकरण की मांग की गई। परन्तु सरकार ने उस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। समय में वृद्धि करने से समस्या हल नहीं होने वाली क्योंकि उसकी जड़ को समाप्त नहीं किया जा रहा।

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए
SHRI ISHAQU SAMBHALI *in the Chair*]

पिछले एक वर्ष में तेल के मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई है और सरकार तेल के उत्पादन और वितरण की दिशा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकी है। चीन ने पिछले 25 वर्षों में उचित नीतियां अपना कर न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त की है अपितु निर्यात करने की स्थिति भी प्राप्त की है।

सरकार बात तो आत्मनिर्भरता की करती रही है परन्तु वास्तव में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा करोड़ों रुपयों की वार्षिक लूट को नहीं रोक सकी है। सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। विदेशी कम्पनियों को अत्याधिकलाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इस दिशा में ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये। अन्य इच्छुक देशों से तकनीकी सहायता प्राप्त की जाए। इस प्रकार के अनमने उपायों से तेल के बारे में देश की समस्यायों का हल नहीं होने वाला है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचरी) : यह विधेयक उतना सरल नहीं है जितना सरल बताया गया है। सरकार ने "एस्सो" द्वारा किए गए ठेकों के बारे में अन्तिम निर्णय करने के लिए 180 दिन की अवधि एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। जब विधेयक प्रस्थापित किया गया था उस समय यह अनुभव किया गया था कि यह उपाय पर्याप्त नही है। उस समय देश भर में मांग की गई थी कि सभी विदेशी तेल कम्पनियों का पूर्णतया राष्ट्रीयकरण किया जाये। इन कम्पनियो की लूट को रोकना ही राष्ट्रीय हित में है।

सरकार ने कहा था कि "एस्सो" द्वारा किए गए सभी ठेकों की संवीक्षा 180 दिन की अवधि में पूरी कर दी जायेगी। परन्तु सरकार इसमें असफल रही है। इससे प्रकट होता है कि सरकार राष्ट्रहित के मामलों में किस प्रकार से काम करती है। क्या मंत्री महोदय अब भी यह कह सकते है कि आने वाले 6 मास में सभी औपचारिकताएं पूरी करली जायेंगी। हमें बताया जाय कि इस विलम्ब के क्या कारण है? इस काम को निर्धारित समय में पूरा करने के रास्ते में क्या बाधाएं थी? इस बात को भी स्पष्ट किया जाये कि 6 मास की और वृद्धि से क्या तात्पर्य है? क्या इसका अर्थ यह नही कि "एस्सो" के ठेकेदारों द्वारा की जा रही लट 6 मास और जारी रहेगी?

विदेशी तेल कम्पनियों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार पूर्णतया वचन बद्ध है । आज की परिस्थितियों में तो इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण और भी आवश्यक है । इस प्रकार का विधेयक उस के रास्ते में रूकावट है । मंत्री महोदय को यह सब बातें स्पष्ट करनी चाहिये ।

Shri D. M. Tiwari (Gopal ganj) : It has been alleged by the opposition that Government has failed to discharge its duties. But the reasons for failure have not been given. We generally find that select committees are constituted and their period is extended 2-3 timss. Government has said that it could not consider it in a short time and finalise the matter. Therefore, there is need for extension of the time-limit so that Government could thoroughly consider.

So far as loot is concerned it was possible during the time of the company. Now it is under control of the Government. It has been acquired to stop this loot. If the Minister had given the reasons for not completing the work in the prescribed period, the Members would have been satisfied. This should now be done.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : It is not clear why Government wants to drag the work. Why was it not felt in the beginning that the work is of a very complex and diverse nature and needed more time for scrutiny of contracts.

The whole country is facing shortage of petroleum products and revolutionary steps are needed in this regard. It appear to-day that life is not secure without oil. We can well visualise the difficulties of the public when we are ourselves feeling difficulties. We should expedite steps to increase our production.

Government has taken over a number of Companies but our experience is that their working has suffered a set-back after the take over. There are number of Indian employees in foreign companies. Government should stop taking over foreign companies and instead make these employees partners in those companies. This will help in increasing production.

The reasons for not completing the work in prescribed period shoud be explained. The delay has caused apprehension in the minds of the people and these needed clarification should we take it that the earlier Bill was brought forward in a haste? This should be withdrawn and work be completed in the stipulated time.

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सेलम) : "एस्सो" कम्पनी को अधिकार में लेने से पूर्व सरकार को पता था कि कम्पनी ने आगे बहुत से ठेके कर रखे हैं । क्या सरकार ने उस समय इस बात का कोई अध्ययन किया था कि इन ठेकों की संवीक्षा में कितना समय लगेगा ? क्या इस मामले में इण्डियन आयल कम्पनी के अनुभवी अधिकारियों का परामर्श लिया गया था ? यदि हां तो उनका परामर्श इस बारे में क्या था ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि "ऐस्सो" कम्पनी के अधिग्रहण से पूर्व उसने कितने ठेके भर रखे थे और उनमें से कितने ठेके इस 6 मास की अवधि में समाप्त कर दिये गये हैं एवं शेष कितने रह गए हैं ? मैं यह आश्वासन भी चाहता हूं कि शेष सभी ठेके अगले 6 मास में समाप्त कर दिये जायेंगे ।

क्या हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कम्पनी के प्रबंधक बोर्ड में ऐस्सो के प्रतिनिधियों द्वारा इन ठेकों की संवीक्षा के कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के रास्ते में रूकावटें डाली जा रही हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कम्पनी के प्रबन्धक बोर्ड में "एस्सो" को किस प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया है ?

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा विधायी प्रस्ताव तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाती इसके कारण ही इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी है । इन कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

---

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जैसा कि मेरे एक मित्र ने भी कहा है यह बहुत ही साधारण विधेयक है। इसके द्वारा "एस्सो" द्वारा किए गए ठेकों को समाप्त करने के लिए अवधि को 6 मास से बढ़ाकर एक वर्ष किया जा रहा है। जब ऐस्सो को सरकारी नियन्त्रण में लिया गया तो इसने अनेक ठेके भर रखे थे। उनके बारे में समझौते में यह उपलब्ध था कि यदि किसी ठेके को सरकार के हित में नही किया जाता उसे लिखित आदेश जारी करके 6 मास के भीतर समाप्त किया जा सकेगा। वह 6 मास की अवधि 8 सितम्बर 1974 को समाप्त हो रही है। यदि इसे बढाया नहीं गया तो वह ठेके हम पर लागू हो जायेंगे। अत: इसे बढ़ाना आवश्यक है।

सरकार ने सोचा था कि कार्य को 6 मास में पूरा कर लिया जायेगा, यह ठेके दो प्रकार के हैं एक तो वह है जो दीर्घावधि आधार पर बड़ी कम्पनियों के साथ थे और दूसरे सामान्य प्रकार के हैं जैसे खुदरा निकासी आदि के बारे में। कुल मिला कर ऐसे 100 से अधिक ठेके थे जो कि जटिल प्रकृति के थे और 3500 के लगभग सामान्य प्रकृति के ठेके थे। इन ठेकों की संवीक्षा के लिए गठित समीति ने लगभग 80% काम पूरा कर लिया है। आशा है कि शेष कार्य भी अगले 6 मास की अवधि में पूरा कर लिया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : How much work could be completed during the last 6 months?

Shri Shahnawaj Khan : 80 per cent of the work has been completed and I hope rest of the 20 percent work will be completed in the next 6 months.

Shri Hukam Chand Kachwai : If it is not completed within this time, will Government again ask for another six month's time?

श्री शाहनवाज खां : जिस समय एस्सो को अधिकार में लिया गया था तब अनेक प्रशासनिक और संगठन संबंधी कठिनाइयां थी। पूरे भारत में एस्सो की शाखाए फैली हुई है जिनसे सूचनाए एकत्र करनी थी, इस कार्य में समय लगना स्वाभाविक था। कुछ ठेकों के बारे में कानूनी सलाह लेनी पड़ी तथा अनेक जटिल समस्या को सुलझाने के लिये बात-चीत का मार्ग अपनाना पड़ा।

कुछ ऐसे प्रश्न भी उठाये गये है जिन्हे अधिग्रहण के समय उठाया गया था। उनका उत्तर दिया जाना मैं आवश्यक नहीं समझता। मैं सभा को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तेल उद्योग पर यथा शीघ्र पूर्णत: अपने अधिकार में लिया जायेगा क्यों कि यह उद्योग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में सरकार ने यही उपयुक्त समझा है कि परस्पर बात-चीत के माध्यम से इस उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण किया जाये। मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि 6 महीने की अवधि बढाये जाने से देश के हितों पर कोई बुरा प्रभाव नही पडने दिया जाएगा। सरकार अन्य कम्पनियों के साथ भी इस सम्बन्ध में बात-चीत कर रही है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 2, Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to this Bill.

श्री शाहनवाज खां : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये । "

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक
DELHI SIKH GURDWARA'S AMENDMENT BILL

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री उमाशंकर दीक्षित की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का प्रारूप दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्ध अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत स्थित दिल्ली गुरुद्वारा बोर्ड की सलाह से तैयार किया गया है ।

अधिनियम की धारा 40 (2) (क) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति को समिति के चुनाव के लिये उम्मीदवार को गुरुमुखी पढ़ना और लिखना आता है अथवा नहीं यह निर्णय देने का अधिकार प्रदान करती है । क्यों कि समिति का आरम्भिक गठन आम चुनावों के बाद भी सम्भव है अतः उसकी और से नियम बनाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिय जाने का प्रस्ताव है । विधेयक के खण्ड 2 (ख) और खण्ड 6 इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये रखे गये है ।

अधिनियम की धारा 15(4) और 16(1) और (2) के अन्तर्गत दिल्ली सिख गुरु-द्वारा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारी समिति की पहली बैठक में चुने जाएंगे । अधिनियम के अन्तर्गत कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा उस समस्या को हल किया जा सके जो पहली बैठक में पदाधिकारियों के चुनाव न किये जा सकने के कारण उत्पन्न हो सकती है । अतः विधेयक के खण्ड 4 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके द्वारा दूसरी बैठक में शेष पदाधिकारियों का चुनाव किया जा सके ।

[श्री एफ० एच० मोहसिन]

विधेयक के खण्ड 5 के अधीन अधिनियम की धारा 32 के खण्ड (क) और (ख) का लोप किया गया है जिससे चुनाव सूची की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विधेयक में प्रस्तावित अन्य संशोधन या तो स्पष्टत: के लिये है या आनुषंगिक है। मैं विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकार वास्तव में इस विधेयक को लाने के पक्ष में नहीं की किन्तु उसे विवश हो कर अब इसे लाना पडा है। सरकार यह भी प्रयत्न करती रही है कि इस समस्या का राजनीतिक लाभ उठाया जाये। गुरुद्वारा समितियां मई 1971 में भंग की गई थी तथा सरकार ने उनके स्थान पर समिति के सदस्यों के नाम पर कांग्रेसी नियुक्त करा दिये थे। इस पर सिखों ने भारी आन्दोलन किया। किन्तु यह मामला 1971 से अब तक जान बूझकर निलम्बित किया जाता रहा है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को प्रत्येक मामले में राजनीति नही खेलनी चाहिये।

Shri Buta Singh (Rupar): I am obliged to Government for introducing this Bill in the House in this session. It is a well known fact that Gurudwaras are there throughout the country. Gurudwaras are also there in foreign countries. If we are unable to do someting for the Gurudwaras in foreign countries we must have a central legislation for the Gurudwaras within our country. In view of the fact that the insructions issued by Hari Mandir Sahib and Akal Takht Sahib are treated as pious commands by all the sikhs, whether living in the country or in the foreign countries, I request that the rules should be uniform for the Gurudwaras in all the areas of the country. I also suggest that politics sholud not be brought in this matter.

I support the Bill and hope that the election of the Committees will be held as soon as possible. I also hope that Government will bring a comprehensive Bill for better management of the Gurudwaras in foreign countries also.

Shri Jharkhanda Rai (Ghosi): Sir, this Bill seeks to amend the Delhi Sikh Gurudwaras Act for getting over some difficulties which may be experienced during the implementation of that Act. It does not involve any policy matter. Therefore there is nothing in this Bill to be objected to.

It is a historical fact that people have from time to time tried to misuse the religious places for communal politics. Even now there are certain communal organisations which have been using those religious places for communal propaganda. In these circumstances I support the demand made by Shri Buta Singh that a central legislation should be brought for all the Gurdwaras in India. I will go to the extent that such legislation shold be made applicable to all the religious places in India so that communalism could be curbed in the country.

I would also like to suggest that out of the money collected through the religious places considerable amount should be spent on the setting up of Eastern Philosophy Research Centres in the country.

Sufficient amount should also be spent on the educational institutions. With these words I suppurt this Bill.

श्रीमती टी० लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। यह विधयक गुरुद्वारा समिति के कार्यकरण में आने वाली कुछ कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है। श्री ज्योतिर्मय बसु ने यह कहा कि इस समिति में केवल कांग्रेसी सदस्यों को ही नियुक्त किया जाता है। इसका कारण यह है कि ये लोग धर्म नाम

की किसी चीज में विश्वास ही नहीं रखते । अभी मुझसे पूर्ववर्ती वक्ता कह रहे थे कि मन्दीर मस्जिद अथवा गुरुद्वारों की क्या उपयोगिता है । कम्युनिस्ट हो या कांग्रेसी, 'ईश्वर' से बच सकना असम्भव है ।

यह सच है कि ऐसी संस्थाओं में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए । धर्म का राजनैतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग किया जाता रहा है । मैं तिरुपति के प्रबन्धक मण्डल का उदाहरण देना चाहती हूं। तिरुपति सम्पूर्ण देश का सबसे बडा मन्दिर है, जहां करोडों रुपय की आमदनी है। गुरुद्वारों में भी भारी आमदनी होती है । इन समितियों को एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। दिल्ली में तिरुपति प्रबन्धक मण्डल एक कालेज का संचालन कर रहा है ।

इस देश की संस्कृति को पुनरोज्जीवित किया जा सकता है । सारी कठिनाइयों के बावजूद भारत इसलिए जीवित है कि वह आध्यात्मिकता में विश्वास रखता है । इन संस्थाओं को राजनीति से बचाया जाना चाहिए ।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा (भीलवाडा) : माननीय मंत्री ने इस विधेयक के सीधे सादे होने पर बल दिया है । परन्तु इस विधेयक के पीछ दुर्भावना छिपी हुई है । इस विधेयक का प्रयोजन दिल्ली सिख गुरुद्वारा समिति के चुनावों को न होने देना है । 1971 के विधेयक में यह व्यवस्था की कि यथासम्भव चुनाव कराये जायेंगे परन्तु इस समय 1974 चल रहा है और अभी तक चुनाव नहीं कराये जा सके है । सरकार ने सत्तारुढ पार्टी के प्रति निष्ठा रखनेवाले लोगों की एक समिति नियुक्त कर दी थी । मैं यह स्वीकार करता हूं कि इन प्रबन्धकों के अधीन कार्यकरण में सुधार हुआ है, परन्तु अभी तक सिखों को लोक तांत्रिक अधिकार क्यों नहीं दिये गये है ? यह विधेयक ऐसे समय में पेश किया गया है, जब सरकार ने यह देखा कि उनके चमचों का समिति में चुना जाना अनिश्चित है ।

इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि समिति का चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों को अनिवार्यत: गुरुमुखी लिखनी पढनी आनी चाहिए । संसद सदस्यों के लिए भी ऐसा कोई बन्धन नहीं है । मंत्री महोदय शीघ्र चुनाव कराये जाने के बारे में स्पष्ट वक्तव्य देने की कृपा करें ।

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : Mr. Chairman, Sir, I would like to speak in Punjabi. If there is no arrangement for simultaneous translation for Punjabi, I would speak in Hindi.

Mr. Chairman : It is very unfortunate that arrangements have not been made for simultaneous translation from Punjabi. You may speak in Punjabi, if you so like.

Sardar Swaran Singh Sokhi : I would speak in Hindi then.

Dehli Sikh Gurudwara Bill was brought forward in 1971 and I had also participated in the debate at that time. I am sorry to say that elections have not been held according to the 1971 Bill upto now and other political parties are taking undue advantage of it.

Sixty percent of the electors would be disqualified under clause 8 of the 1971 Act. There would be clashes among Sikhs when elections are held. The religion and political parties are separate institutions. No gurudwara should be allowed to put up candidates for elections. This amendment is absolutely correct and should be passed at the earliest.

Some of the Members have alleged that all the Members in the Committee have allegiance to the Congress Party. It is not so. Except Sardar Jogender Singh and leaving

[Sardar Swaran Singh Sokhi]

one or two members, nobody is a member of Congress party. On the occasion of the last Dussehra, there was a clash between two groups of sikh community, and firing took place there at Gurudwara in Nanded. Such clashes should be checked. Such a Bill should also be brought forward for Gurudwaras at Patna and Nanded.

A book titled "Aurangjeb and his Times" contains very derogatory remarks against our tenth Guru Govind Singh. Such books should be immediately banned.

In the end, I would like to urge that this Billshould be passed unanimously and election should be held at the earliest.

श्री एफ० एच० मोहसिन : इस विधेयक को पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिये मैं सदस्यों का आभारी हूं। इस विधेयक के पीछे कोई भी राजनीति नहीं है और राजनीति होने के आरोप का मैं खण्ड न करता हूं। दिल्ली प्रशासन और चुनाव निदेशालय ने चुनावों में आने-वाली कुछ कठिनाइयों की ओर संकेत किया था । उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है । कुछ सदस्यों की इस राय से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि धार्मिक संस्थाओं में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच आपसी सद्भाव से विभिन्न समुदायों के बीच गलतफहमियों को दूर करने में काफी हद तक सफलता मिल सकेगी । श्री बूटा सिंह ने यह सुझाव दिया है कि देश के सभी गुरु-द्वारों के लिए एक केन्द्रीय कानून और एक केन्द्रीय समिति होनी चाहिए। हम इस सुझाव का अध्ययन करेंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री झारखण्डे राय ने अनेक सुझाव दिए। सम्भव है वह नास्तिक हों। उन्होने कहा कि चेरिटेबल संस्थाओं की आय का अच्छे प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली और पंजाब के गुरुद्वारों की आय का अधिकांशत: मानवता के लिए उपयोग हो रहा है । गुरुद्वारे अनेक हायर सेकण्डरी स्कूल, कालेज और अस्पतालों का संचालन कर रहे है । अन्य धार्मिक संस्थाओं को भी इसका अनुकरण करना चाहिए।

राजस्थान के एक सदस्य ने इस विधेयक को दुर्भावनापूर्ण बताया और समर्थन भी किया। यह दुर्भावनापूर्ण विधेयक नहीं है, बल्कि सद्भावनापूर्ण है । कुछ असंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है । अगर राज्य सभा भी इस विधेयक को इसी सत्र के दौरान पारित कर देती है, तो इसी वर्ष के अन्त तक चुनाव कराये जा सकेंगे ।

कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के लिए गुरमुखी पढन लिखने का ज्ञान इसलिए अनिवार्य रखा गया है, कि पंजाब गुरुद्वारा अधिनियम में इस बात की व्यवस्था है और सिख नेताओं की भी यही इच्छा थी।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी ने कहा कि इससे अनेक निर्वाचक अपने अधिकार से वंचित हो जायेंगे । निर्वाचकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडता । गुरुमुखी पढने लिखने की योग्यता तो सिर्फ कार्यकारी बोर्ड के उम्मीदवारों पर लागू होती है । हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की लडाई हो । हम चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से कराना चाहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु और अन्य सदस्योंनें यह आरोप लगाया है कि प्रबन्धक बोर्ड में कॉंग्रेसी सदस्योंकी नियुक्ती कि गई है । समिति में सरदार टिक्का जगजीत सिंह बेदी, सरदार जोगेन्दरसिंह, सरदार बहादुर, रणजीत सिंह, भाई मोहन सिंह और सरदार प्रीतम सिंह है । सरदार जोगेन्दर सिंह बोर्ड के सभापति है और वह इस समय राजस्थान के राज्यपाल है।

सभी व्यक्ति सिख समुदाय में सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति है । इस समिति ने अच्छा काम किया है । हम चाहते है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों । मुझे आशा है कि सिख समुदाय अच्छे व्यक्तियों को बोर्ड के लिए चुनेगा ।

श्री सोखी ने कुछ संशोधनों का नोटिस दिया है । मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता । मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह विधेयक को स्वीकृत करे ।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : श्री सोखी ने यह कहा है कि किसी पुस्तक में सिखों के लिए आपत्तिजनक बातें कही गई है । क्या सरकार इस बारे में जांच करेगी ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2--5

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे । क्या श्री सोखी अपने संशोधन पेश कर रहे हैं ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मैं कोई भी संशोधन पेश नहीं कर रहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बन ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 5 were added to the Bill

खण्ड 6

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2 :—

(i) पंक्ति 18 और 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :—

"6. In section 39 of the principal Act, —

(a) in sub-section (2), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :—";

["6. मूल अधिनियम की धारा 39 में,—

(क) उप-धारा (2) में, खण्ड (क) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :— ";]

[उपाध्यक्ष महोदय]

"(ii) पंक्ति 22 के पश्चात निम्नलिखित अन्तस्थापित किया जाय—

'(b) in sub-section (4), for the words "two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid or the session immediately following," the words "two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid," shall be substituted.,

[Shri F. H. Mohsin]

['(ख) उप-धारा (4) में, "दो लगातार सत्रों और अगर उस सत्र की समाप्ति से पूर्व जिसमें वे सभा पटल पर रखे जाते है अथवा उसके तत्काल बाद क सत्र" शब्दों के **स्थान पर** "दो या अधिक लगातार सत्र, और यदि, उसके तत्कालबाद के सत्र अथवा उपर्युक्त लगातार सत्रों की समाप्ति से पूर्व" शब्द प्रतिस्थापित किय जायगे । '] **(सं० 5)**

[श्री एफ० एच० मोहसिन]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 6, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

खंड 7, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 7, clause 1, enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : I appreciate the time by action taken in the matter by Government.

I have nothing to say about the previous commissions. Nor I have to comment on the report of the Income Tax Commissioner. It would have been better if Shri Basu had gone through those reports. I only want to say that the management of Gurudwaras should be in these hands of those who are well versed in Budgetary procedures and also are conversant with Sikh traditions. I don't object to non-Sikh members being on the Board. A let of amount is being spent on such institutions. I wish that the income should largely be spent on schools and colleges.

You should now fix a date for holding elections. It should not be postponed indefinately. You should implement this legislation forth with, so that people may not propagate against the Government under a false notion.

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री दरबारा सिंह ने भावी बोर्ड के गठन के बारे में उपयोगी सिफारिशें की है । मैं उनसे सहमत हूं कि निर्वाचन शीघ्र कराये जाये । विधेयक के लोक सभा एवं राज्य सभा से पारित होने के बाद 45 दिन का नोटीस देना होगा । बोर्ड के गठन के बारे में अन्य सुझावों से भी मैं सहमत हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव लाना अस्वाभाविक है । नियमानुसार अध्यक्ष महोदय को यह शक्ति प्राप्त है कि वे सभा का सत्र सभा की रजामंदी से बढाये । यदि सभा चाहती है तो हम 7.00 बजे तक बैठेंगे ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1974-75

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1974-75

उपाध्यक्ष महोदय : अब रेल बजट की वर्ष 1974-75 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेंगे । जो सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव रखना चाहे वे 15 मिनट में अपने नाम भेज सकते है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । उन्होनें 56 करोड 44 लाख रुपए की मांग की है । मैं यह कहना चाहता था इस राशि में वह धन भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो उन सहस्त्रों स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों जो मई, 1974 की हडताल के बाद अभी भी इधर-उधर भटक रहे है के लिए अपेक्षित है । हमें आश्वासन दिया गया था कि उनके मामलों पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार किया जायेगा । परन्तु किसी भी शीर्ष में उनके लिए व्यवस्था की गयी हो—ऐसा नहीं लगता ।

सरकार को बरखास्त/निलम्बित किये गये कर्मचारियों के लिए बजट में व्यवस्था करनी चाहिए ।

Shri Madhu Limaye (Banka): I have a point of order. Under Article 112 there is a provision for laying before both the houses of Parliament a statement of the estimated receipt and expenditure of the Government of India.

I do not understand why two budgets are being introduced and why two annual statements are brought here when constitution speaks of only one? Why separate Budget for Railways is presented? After all what is the basis on which this is being done?

Rule 212 provides that the budget can be presented in two or more parts.

The first resolution regarding the separation of Railway from the General finances was passed in December 1944. Second such resolution was passed on 21 December, 1949 which stated that Railway finances shall continue to remain separate from general finances.

Mr. Deputy Speaker, Sir, can any resolution on convention go against the provision of Article 112 of the constitution which provides for one financial statement?

[Shri Madhu Limaye]

Railway is on the one hand called a commercial institution, but no bonus is granted to its employees.

It has been stated in "Indian Railways 100 years" that the Railway are a state undertaking run by the state, controlled by the state, wholly managed by the officers of the state although naturally they form a separate department of the state.

Thus, this is a Government Department whose business is executed differently.

In the case of General Budget, it is initiated by budge speech followed by taxation proposals and demands for grants. Article 265 of our constitution provides that no tax shall except by authority of law can be imposed. But in the case of Railways, there is no financial Bill. The current Railway Act gives powers to enhance fares and freight charges.

If Railway is a commercial institutions why Bonus is not given to its employees? I do not know whether the Railways are discussed in P.A.C.

Shri Jyotirmoy Basu (Diamond Harbour) : It does come.

Shri Madhu Limaye : You enhance the fares and freights by notificaion under section 29. But we cannot give suggestions for its reduction. You should not increase the fares but instead withdraw the facilities given to the Birlas.

Kindly see my original notice dated 22 August. I have given notice of amendments. What would happen to that?

Mr. Deputy Speaker kindly give due attention to the matter. How old the Railway Act is?

Shri Mohammed Shafi Qureshi : 100 years old.

Shri Madhu Limaye : At that time there was no Parliament. In the matter of freights and fares we are not going to act on their dictates. We should be given opportunity to propose reductions.

उपाध्यक्ष महोदय : उक्त नोटस् मेरे समक्ष क्यों नहीं रखा गया।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker had intimated that it would be taken up at time of considering supplementary Demands.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि रेल मंत्री मेरे निर्णय से पूर्व अपना उत्तर दे सकते है।

रेल मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : श्री लिमये ने इस बारे में मुझे पत्र लिखा था जिसका उत्तर मैंने दे दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि व्यवस्था का प्रश्न उठाने वाले सदस्य का मंत्री महोदय के साथ कुछ पत्र व्यवहार था। केवल पीठासीन अधिकारी ही अंधकार में पड़ा है।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : श्री लिमये ने जो बात उठाई है उस पर रेल मंत्रालय ने सावधानी पूर्वक विचार किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि सुझाव को स्वीकार करना सम्भव नहीं है। श्री लिमये के सुझाव का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब कभी रेल किराये तथा भाडे में वृद्धि की जाये तब संसद में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए

और इस वृद्धि के प्रस्ताव को संसद द्वारा स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिये । अनुदानों की मांगों के समय सदन के समक्ष किराए का तथा भाड़े में वृद्धि के प्रस्ताव पर चर्चा का अवसर रहता है और अनुदानों की मांगें संसद द्वारा ही स्वीकृत होती है ।

बजट प्रस्तावों में किराया तथा भाडा 9 सितम्बर से बढ़ाना निश्चित किया था । परन्तु चर्चा के विलम्ब हो जाने के कारण 9 सितम्बर की तिथि बढ़ा कर 15 सितम्बर कर दी गई है । इसका तात्पर्य यह है कि जब तक संसद् के दोनों सदनों में इस पर चर्चा सम्पन्न न हो जाये तब तक प्रस्तावों को क्रियान्वित न किया जाये ।

श्री मधु लिमये (बांका) : जब कर प्रस्ताव आ जाते है तब उनमें कमी की जा सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । हमें इस बारे में सावधानी पूर्वक विचार करना है । जहां तक मै समझता हूं श्री लिमये ने संविधान के अनुच्छेद 112 का संदर्भ दिया है और उन्होने बताया है कि इस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष में एक वित्तीय विवरण दिया जा सकता है ।

उन्होंने सभा के नियम 213 का भी संदर्भ दिया है जो सरकार को एक वर्ष में एक से अधिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का अधिकार देता है। श्री लिमये ने यह बात उठायी है कि क्या नियम संविधान का अति लंघन कर सकते है ।

नियमों के अनुसार बजट एक से अधिक भागों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका यह तात्पर्य है कि मंत्री महोदय कई बार बजट पेश कर सकते है। संवैधानिक उपबन्ध पर्याप्त रूप से स्पष्ट होने पर भी संसद ने ये नियम क्यों बनाये ? क्या एक वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले बजट के विभिन्न भाग एक ही वार्षिक वित्तीय विवरण की श्रृन्खला में होते है । यदि इसकी यही व्याख्या है तो नियम सरकार को एक से अधिक बार बजट पेश करने का अधिकार देते हैं ।

अनुच्छेद 118 में सभा की कार्यवाही चलाने के लिये इस सदन को नियम बनाने का अधिकार है । संसद ने ये नियम बनाये है और हमने इन नियमों का अनुसरण किया है। श्री मधु लिमये ने यह आपत्ति उठाई है कि मांगों पर चर्चा के समय हम उन्हें कम कर सकते है, अस्वीकार कर सकते है । यह सभा के अधिकार में है । वित्त विधेयक के सम्बन्ध में, जहां कराधान प्रस्ताव होते है, हमें उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार है । परन्तु रेलवे के किराये तथा भाडे में वृद्धि के बारे में सभा को कोई अधिकार ही नहीं है । श्री लिमये ने आपत्ति उठायी है कि सरकार अधिसूचना जारी करके ही ऐसा कर सकती है, उसे सभा में आने तक की आवश्यकता नहीं है ।

मेरे विचार से संविधान के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार, अथवा इस प्रकार कहें कि रेल मंत्री अपने सौजन्य से ही सभा में आकर सभा का मत जानने का प्रयास करते है, मंत्री महोदय को इसके लिये सभा में आने की आवश्यकता नहीं है । सांविधिक स्थिति यह है। यह लोकतंत्र के अनुरूप है अथवा नहीं रेल अधिनियम आज की परिस्थितियों में भी वैध है अथवा नहीं यह बडा प्रश्न है और इस पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा। किन्तु यह चर्चा में आड़े नहीं आनी चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी ने जो मामला उठाया है वह चर्चा का विषय है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

4—35 LSS/74

*श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : रेल मंत्री ने कहा है कि उनके प्रयत्नों के बावजूद मई, 1974 की देश व्यापी रेल हडताल नहीं रोकी जा सकी । मंत्री महोदय ने यह बात बिलकुल असत्य कही है । रेल कर्मचारियों के संघों ने हडताल का नोटिस अप्रैल में दिया था । गुप्त रूप से आदेश दिये गये कि मजदूर संघ कार्यकर्ताओं तथा नेताओं को गिरफ्तार किया जाये । हडताल से एक सप्ताह पूर्व सरकार ने चल रही बातचीत यकायक बन्द कर दी, कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार करना आरम्भ कर दिया । 27-4-74 को सरकार ने निर्णय करके 200 यात्री गाडी बन्द कर दी । सरकार ने अपनी कार्यवाहियों से ही हडताल पर जाना अनिवार्य बना दिया । इन बातों को देखते हुए क्या रेल मंत्री के वक्तव्य में कोई सत्यता रह जाती है ?

रेल कर्मचारियों की मांगे क्या थी ? (i) उन्हें औद्योगिक कर्मचारी समझा जाये और मजदूर संघ के अधिकार दिये जायें (ii) कार्य के आठ घन्टे निर्धारित किये जायें (iii) आवश्यकता पर आधारित वेतन दिया जाये (iv) अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियो के समान वेतन दिया जाये ।

क्या ये मांगे न्यायसंगत नहीं है ? मियांभाई आयोग रेल कर्मचारियों को पहले ही औद्योगिक कर्मचारियों के रूप में स्वीकार कर चुका है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में भी यही विचार प्रकट किया गया और भारत सरकार ने उसे स्वीकार किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी रेलवे को एक उद्योग माना है । रेल कर्मचारियों ने ऐसी मांग करके क्या अपराध किया है ? सरकार ने हड़ताली रेल कर्मचारियों के प्रति निर्दयपूर्ण व्यवहार किया, भारतीय सुरक्षा नियम का प्रयोग किया। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि भारतीय सुरक्षा नियमों का प्रयोग मजदूर संघों को दबाने के लिये नहीं किया जायेगा । युद्धबन्दी वापस कर दिये गये परन्तु आपतकालीन स्थिति की समाप्ति की घोषणा नहीं की गई और न भारतीय सुरक्षा नियम के उपबन्धों को ही समाप्त किया गया । रेलवे बोर्ड ने हडताल को दबाने के लिये अनेक अनैतिक उपाय अपनाये । सरकार ने हड़ताल को कुचलने के लिये जो धनराशी कम की है उसके आंकडे नहीं दिये गये है । हावडा स्टेशन पर पैसा देकर गुन्डें बुलाये गये। सरकार ने हडताल विरोधी प्रयास पर बहुत बडी धन राशि कम की। इस दुरुपयोग से बचा जा सकता था और परिणामतः अब किराये तथा भाड़े में वृद्धि करने की आवश्यकता न पडती।

रेल कर्मचारियों, कर्मचारियों के परिवारों को अभूतपूर्व यातनायें दी गयीं । मिर्जापुर मुगलसएम, झाँसी, बोंगाईगान लुबडिंग कछरापार अग्रा तथा खडगपूर में भीषण अत्याचार किये गये ।

इस समय बहुत अधिक कर्मचारी बिना नोकरी के है । अदरा डिविजन में 3,600 अस्थाई कर्मचारी है और 400 स्थाई रेल कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, हजारो रेल कर्मचारी अभी तक जेल में है । रेल मंत्री महोदय रेलवे की उत्पादकता को बढाने की बात प्रायः करते रहते है । जब तक निकाले गये सभी कर्मचारियों को पुनः नोकरी नहीं दे दी जाती और जब तक सरकार श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिये अपने रवैये को नही बदलती है तब तक ऐसा सम्भव नहीं है । क्षुब्ध और निराश कर्मचारियों के होते हुए उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो सकती ।

हम इन मांगों का समर्थन क्यों करें। गाडियां देर से आती जाती है । रेलों द्वारा यात्रियों को जल, प्रकाश, पंखों और अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं की जाती है ।

*बंगला म दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

तब सरकार किस नैतिक आधार पर अधिक धन की मांग करती है, क्योंकि यात्रियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा है । इस समय सुरक्षात्मक उपायों की स्थिति भी ठीक नही है । गत 4 महीनों के भीतर डाके आदि की 257 घटनायें हुई है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जैसे निष्पक्ष निकायों के निष्कर्षों को मानना चाहिये और रेल कर्मचारियों की उचित मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिये । उसे उन सभी कर्मचारियों को पुनः बहाल कर देना चाहिये जिन्हें गत रेल हडताल के दौरान बर्खास्त कर दिया गया था ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): I want to draw the attention of the Railway Ministry to some special points. The meaning of these supplementary demands is to meet the heavy losses incurred by the Railways during the strike period, because of this reason these demands have been brought forward. I believe that if special attention is given to improve the working of the Railways, there is no need to bring forward these supplementary demands.

Regarding the promotion of the employee, more than a years time has passed when the Supreme Court had pronounced judgement, but promotions are not being done according of this verdict.

Secondly, the stores of the Central Railways at Bomby are filled with the goods worth Rs. 9 crores ana these goods are not being used at all and thus the money is being wasted. The scraps are lying unused in the Railway workshops and they are being sold in auction without any checking by any officer whether these goods can be used. Thus heavy losses are being incurred by the Railways. The money can be saved by giving attention to the Railway administration.

A lot of corruption is prevelent amongst the Railway Officials. I demand that the vigilance Department inquiring these matters should be connected with C.B.I., so that these should be proper inquiries against the officials involved in corruption cases.

The High Officials in each Railway should not remain posted at a place for a long period No action be is being taken on the complaints made by the employees and the unions and no reply is sent to them for years together.

I agree that there should be one Union in the Railways and no political leader should remain as leader of the trade Union please ask Shri A. P. Sharma, who is the leader of NFIR, to resign from the Congress Party. (*Interruption*) He should work there without remaining in the Congress Party.

I also want to draw the attention of the Railway Minister towards one specific point that there is one Finger print expert, but the Railway Administration have not taken action according to the report of the expert. I want to ask the Hon'ble Minister that in how many complaints the action has been taken by these Finger print experts. Then the files of the cases where the money has been taken by giving the print of thumb impression. I want that this Department should be separate from the Railway Department.

Then I want to say that Shri L.N. Mishra is the Railway Minister today. It is matter of shame that the Prime Minister is giving protection to him **(*Interruptions*).

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : He should withdraw his words (*Interruptions*).

Shri Hukam Chand Kachwai : There will not be any effect of your crying upon me.

Mr. Chairman : Mr. Kachwai I request you to withdraw these words.

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।
**Expunged as ordered by the Chair.

Shri Hukam Chand Kachwai : I am saying whatever I have gained by experience. I have seen the people crying and raising slogons that all these railway colonies.

Mr. Chairman : Mr. Kachwai, so many slogons are raised, but. . .

Shri Hukam Chand Kachwai : But this slogon is being raised with full force Interruption. I don't agree that it is unparliamentary. I have expressed the feelings of the public.

प्रो. नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिये ।

Shri Hukam Chand Kachwai : ** I have spoken the truth**

Mr. Chairman : My ruling is that these words may be expunged.

सभापति महोदय : श्री ई० आर० कृष्णन ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : आपने विरोधी पक्ष के तीन सदस्यों को लगातार बुलाया है । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि सोमवार को पहले तीन कांग्रेसी सदस्यों को बुलाया जाये ।

†**श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : रेल मंत्री महोदय ने इस अनुपूरक बजट के द्वारा किराये और भाडे को बढाकर इस वर्ष के शेष 5 महीनों के भीतर 140.07 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व को जुटाने का प्रयास किया है, जब कि मूल बजट से 12 महीनों में केवल 136.38 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है। रेल मंत्री ने कहा है रेल भाडे में केवल $16\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 22 प्रतिशत की वृद्धि की है । लेकिन यदि मूल बजट और अनुपूरक बजट की तुलना की जाये तो अनुपूरक बजट के द्वारा मूल बजट की तुलना में 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई है ।

रेल मंत्री महोदय ने कहा है कि भाड़े में वृद्धि से अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । लेकिन उनके अपने ही वित्त आयुक्त श्री भंडारी के अनुसार भाडे में वृद्धि के कारण थोक मूल्य सूचकांक में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप मूल्य सूचकांक भी बढ जायेगा ।

अप्रैल, मई और जून 1973 की तुलना में अप्रैल, मई और जून 1974 की अवधि में ढुलाई में 120 लाख टन की कमी हुई है। यदि भाड़े में और वृद्धि की गई तो इसमें और भी गिरावट आ जायेगी । इसी प्रकार 1973 की तुलना में 1974 में इसी अवधि के दौरान रेल यात्रियों की संख्या में 15 करोड़ की कमी हुई है । इसी प्रकार यदि किराये और बढाये गये तो इसके भी दुष्परिणाम निकलेंगे ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

†तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर ।

†Summarised translated version based on English translation of the speech delivered Tamil.

जबकि रेल मंत्री महोदय ने और अधिक माल डिब्बों की मांग की है लेकिन रेलवे बोर्ड ने माल डिब्बे निर्माता 5 फर्मों को दिये गये क्रयादेशों में कमी कर दी है। इस के फलस्वरूप हजारों श्रमिकों के नौकरी से निकाले जाने की सम्भावना है । जब बनावट कमी को दूर करने के लिये देश के विभिन्न भागों में आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिय और अधिक माल डिब्बों की आवश्यकता है, तो मैं रेलवे बोर्ड द्वारा मनमाने ढंग से माल डिब्बों के क्रयादेशों में कमी किये जाने का विरोध करता हूं।

वित्त मंत्री और रेल मंत्री दोनों ने ही यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने की दृष्टि से ही ये अनुपुरक बजट लाये गये है। इस वर्ष फरवरी के सामान्य बजट से 212 करोड़ रुपये के करों का भार पड़ा है और जुलाई में पेश किये गये इस सामान्य बजट से 232 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भार डाला गया है । इस वर्ष फरवरी के रेल बजट में 136 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार डाला गया था और जुलाई के अनुपूरक रेल बजट में 140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार डाला गया है । 1974–75 में कुल कर भार 740 करोड़ रुपये का हुआ है । 1971 से 1974 तक की अवधि में रेल भाड़े में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मैं रेल मंत्रालय में उप मंत्री श्री कुरेशी के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि यदि व्यापारी 7 दिनों के भीतर माल नहीं उठायेंगे तो उनके माल को जप्त कर लिया जायेगा। इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि इन व्यापारियों के लाइसेंसों को रद्द कर दिया जाये। यदि रेलवे अधिकारी रेलवे सम्पत्ति की चोरी तथा बिना टिकट यात्रा पर प्रभावी रुप में नियंत्रण करें तो प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपयें का घाटा पूरा किया जा सकता है और इस 140 करोड़ रुपये के भारी भार को डालने की कोई आवश्यकता ही न होती ।

गत 6, 7 महीनों के दौरान बरास्ता सलेम कुदलोर से बंगलौर तक चलने वाली रेल गाड़ी चल नहीं रही है। सरकार को चाहिये कि इस रेल गाड़ी को पुनः चालू किया जाय अब चूंकि कलकत्ता उच्च न्यायालयने अपना निर्णय दे दिया है, इस लिये रेलवे बोर्ड को सभी बरखास्त किये गये तथा निकाले गये कर्मचारियों को, जिन्होंने हाल की रेल हडताल में भाग लिया था, पुनः नौकरी पर बहाल कर देना चाहिये। उनके सेवा में पड़े व्यवधान को क्षमा कर दिया जाना चाहिये ।

तमिलनाडु, में उद्मलपेट्टी और पोलाची ताल्लुकों में माल डिब्बों की कमी के कारण वहां भारी मात्रा में जिप्सम पड़ा हुआ है ।

यह सुनने में आ रहा है कि मेत्तुपलयम ऊटी रेल गाड़ी को बन्द करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यदि इस गाड़ी को बन्द कर दिया गया, तो तामिलनाडु की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों का आना बन्द हो जायेगा। मैं रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में स्पष्ट वक्तव्य दें कि मेत्तुपलयम ऊटी रेल गाड़ी को बन्द किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेल मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
5	1	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	रेल पटरियों के अनरक्षण की अत्यधिक लागत ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
5	2	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	सभी रेल फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त करने में असफलता ।	,,
5	3	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	इंजनों के लिए घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई बन्द करने में असफलता ।	
5	4	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	बेकार बाष्प इंजनों का प्रयोग बन्द करने में असफलता ।	,,
5	5	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	दक्षिण पूर्व रेलवे में अद्रा और हावड़ा के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने में असफलता ।	,,
5	6	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	बी० डी० आर० लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता ।	,,
5	7	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	दक्षिण पूर्व रेल्वे में खडगपुर से अद्रा तक लाइन में बिजली लगाने में असफलता ।	,,
5	8	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	दक्षिण पूर्व रेलवे में बकुरा और गढ़ बेटा रेल्वे स्टेशनों पर बेहतर प्रतीक्षालयों तथा कार्यालय के लिए स्थान की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
8	9	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	दक्षिण पूर्व रेलवे में गाड़ियों का लगातार देरी से चलना ।	,,
8	10	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	दक्षिण पूर्व रेलवे में अद्रा डिवीजन की गाड़ियों में यात्रियों के लिये सुविधाओं का अभाव ।	,,
8	11	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	रेलवे यार्ड से और चलती गाड़ियों से सामान की चोरी रोकने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
8	12	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	बिना टिकट यात्रा को रोकने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
8	13	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	प्रथम श्रेणी के डिब्बों में परिचरों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
10	14	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	कर्मचारियों के लिये ऐसे क्वार्टरों की जिनमें समुचित सफाई सुविधायें उपलब्ध हों, व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
10	15	श्री जगदीश भट्टाचार्य	कर्मचारियों को रियायती दर पर खाद्य-सामग्री तथा आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने में असफलता ।	,,
4	16	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	उपर्युक्त व्यवस्था के अभाव में रेल सामग्री का अपव्यय	,,
4	17	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	विगत रेल हड़ताल के दौरान कार्य का निलम्बन ।	,,
4	18	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	विगत रेल हड़ताल के दौरान श्रमिकों के प्रति पुलिस का दुर्व्यवहार ।	,,
4	19	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	विगत रेल हड़ताल के समय बर्खास्त किय गये नैमित्तिक कर्मचारियों के प्रति अधिकारियों द्वारा बदले की भावना पूर्ण व्यवहार ।	,,
4	20	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	पूर्व रेलवे के सियाल दाह सेक्शन पर यात्रा करने चले यात्रियों की सुरक्षा में कमी ।	,,
4	21	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	रेल कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं ।	,,
4	22	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	विगत रेल हड़ताल के दौरान रेलवे द्वारा प्रचार पर धन का व्यय ।	,,
4	23	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	विगत रेल हड़ताल के दौरान रेल कर्मचारियों की गिरफ्तारी ।	,,
4	24	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	विगत रेल हड़ताल के दौरान नौकरी से हटाये गये नैमित्तिक श्रमिकों को पुनः नौकरी में लगाने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
4	25	**श्री जगदीश भट्टाचार्य :**	रेल हड़ताल के दौरान बर्खास्त किये गये श्रमिकों को पुनः नौकरी पर लगाने में सअफलता ।	राशि 100 घटा जाय में से रुपये दिये
4	26	**श्री जगदीश भट्टाचार्य :**	दक्षिण-पूर्व रेलवे के डी० एस० कार्यालय अदरा के कार्य संचालन की सरकारी जांच कराने में असफलता ।	,,
4	27	**श्री जगदीश भट्टाचार्य :**	दक्षिण पूर्व रेलवे में विगत रेल हड़ताल के दौरान बर्खास्त किये गये श्रमिकों को पुनः नौकरी पर लगाने में असफलता ।	,,
4	28	**श्री जगदीश भट्टाचार्य :**	विगत रेल हड़ताल के दौरान जिन श्रमिकों और उनके परिवारों पर पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार किये गये उन्हें प्रतिपूर्ति देने की आवश्यकता ।	,,
4	29	**श्री जगदीश भट्टाचार्य :**	विगत रेल हड़ताल के दौरान श्रमिकों पर चलाये गये झूठे मामले को वापस लेने में असफलता ।	,,
4	30	**श्री जगदीश भट्टाचार्य :**	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता ।	,,
4	31	**श्री जगदीश भट्टाचार्य :**	रेल विद्युतीकरण कर्मचारियों को यद्यपि वे 10 से 15 वर्ष तक रेलवे में कार्य कर रहे हैं स्थायी करने में असफलता ।	,,
4	32	**श्री जगदीश भट्टाचार्य :**	गत हड़ताल के दौरान रद्द की गई गाड़ियों को पुनः चालू करने में असफलता ।	,,
4	33	**श्री जगदीश भट्टाचार्य :**	रेल कर्मचारियों को बोनस देने में असफलता ।	,,
4	34	**श्री जगदीश भट्टाचार्य :**	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों की नियुक्ति करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
4	35	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि का वेतन देने में असफलता ।	राशि 100 रुपये में से घटा दिये जायें
5	36	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	अगरतला को रेलवे लाइन से जोड़ने में असफलता ।	,,
5	37	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	सभी गाड़ियों में दूसरे दर्जे के यात्री किराये को कम करने में असफलता ।	,,
5	38	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	आसनसोल-पुरी लाइन पर पहले दर्जे के पुराने डिब्बों को बदलने में असफलता ।	,,
5	39	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	दक्षिण पूर्व रेलवे में आद्रा स्टेशन पर गाड़ियों को चलाने में असाधारण विलम्ब को रोकने में असफलता ।	,,
6	40	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	लोको रनिंग कर्मचारियों को दिये गये आश्वासनों को लागू न करना ।	,,
6	41	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	रेलवे बोर्ड के कार्यकरण का तानाशाही ढंग ।	,,
8	42	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	स्टेशनरी के इस्तेमाल में मितव्ययता बरतने में असमर्थता ।	,,
8	43	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	रेल कर्मचारियों को वर्दी की अनियमित सप्लाई ।	,,
10	44	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	रेल कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने में असफलता ।	,,
10	45	श्री जगदीश भट्टाचार्य :	रेल कर्मचारियों के लिये रेलवे क्वार्टरों में टिन के शेडों के बदले पक्के शेडों के लगाने में असफलता ।	,,
4	46	श्री पी० जी० मावलंकर :	लाखों रेल कर्मचारियों में जिनके सतत् तथा निष्ठापूर्ण कार्य और स्वाभाविक वफादारी पर भारतीय रेलों का कुशल तथा सुचारू संचालन निर्भर करता है, सामान्य स्थिति लाने और विश्वास का वातावरण उत्पन्न करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
4	47	श्री पी० जी० मावलंकर :	हाल की हड़ताल के बाद रेल कर्मचारियों के सभी प्रकार के उत्पीड़न की तुरन्त समाप्त करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
4	48	श्री पी० जी० मावलंकर :	माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इस महीने के शुरू में सभा में दिये गये इस स्पष्ट आश्वासन को कि सरकार हड़ताली तथा अन्य रेल कर्मचारियों के मामलों पर जिन्हें बर्खास्त, निलम्बित अथवा दण्डित किया गया है, सहानुभूतिपूर्वक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर विचार करेगी, पूरी तरह शीघ्रतापूर्वक और ईमानदारी से पूरा करने में असफलता।	,,
4	49	श्री पी० जी० मावलंकर :	हाल की हड़ताल से पहले और इसके दौरान सैकड़ों रेल कर्मचारियों की अन्धाधुन्ध और मनमानी गिरफ्तारियां रोकने में असफलता ।	,,
4	50	श्री पी० जी० मावलंकर :	हाल की रेल हड़ताल के दौरान बहुत से कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति पुलिस के दमनकारी और बर्बर व्यवहार को रोकने में असफलता ।	,,
4	51	श्री पी० जी० मावलंकर :	हाल की हड़ताल से पूर्व और उसके दौरान गुजरात में रद्द की गई बहुत सी यात्री-गाड़ियों को पुनः चालू करने में असफलता ।	,,
4	52	श्री पी० जी० मावलंकर :	दिल्ली-अहमदाबाद मीटर-गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को तुरन्त आरम्भ करने में असफलता ।	,,
4	53	श्री पी० जी० मावलंकर :	अहमदाबाद और बम्बई के बीच यात्री और तेज गाड़ियों चलाने के लिए साबरमती और विरार के बीच बड़ी लाइन का विद्युतीकरण शीघ्र पूरा करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
4	54	श्री पी० जी० मावलंकर :	भावनगर-तारापुर नई लाइन का निर्माण शीघ्र आरम्भ करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
4	55	श्री पी० जी० मावलंकर :	गुजरात में कपड्वनाज-मोदासा मीटर गेज मार्ग पर एक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने हेतु एक ठोस योजना बनाने में असफलता।	,,
4	56	श्री पी० जी० मावलंकर :	उन रेल फाटकों पर जहां हाल ही में दुर्घटनाओं का खतरा वास्तविक सिद्ध हो गया है, चौकीदार नियुक्त करने में असफलता।	,,
4	57	श्री पी० जी० मावलंकर :	आरक्षण के बारे में खुले आम चल रहे घोटाले को, जिसके कारण वास्तविक ईमानदार और कानून प्रिय यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है, कारगर ढंग से रोकने में असफलता।	,,
4	58	श्री पी० जी० मावलंकर :	अहमदाबाद से वाराणसी तक बरास्ता कानपुर और इलाहाबाद एक सीधी नई रेल गाड़ी चालू करने में असफलता।	,,
4	59	श्री पी० जी० मावलंकर :	भारी दैनिक यातायात का सामना करने के लिये अहमदाबाद और बम्बई के बीच कम से कम एक अतिरिक्त रेलगाडी चलाने में असफलता।	,,
4	60	श्री पी० जी० मावलंकर :	अहमदाबाद और बम्बई के बीच वातानूकूलित कुर्सी-यान डीलक्स गाड़ी पुनः चालू करने में असफलता।	,,
4	61	श्री पी० जी० मावलकर :	अहमदाबाद से मद्रास तक बरास्त दादर, बम्बई-नद्रास मेल के साथ एक सीधी बोगी की सुविधा प्रदान करने में असफलता।	,,
4	62	श्री पी० जी० मावलंकर :	भारतीय रेलों पर विभिन्न भोजनयानों में सादा परन्तु अच्छे भोजन और जलपान की व्यवस्था करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
4	63	श्री पी० जी० मावलंकर	: उत्पादन के स्थानों से बिक्री तथा वितरण केन्द्रों तक नमक को शीघ्र उठाने ले जाने के लिये सौराष्ट्र और कच्छ में नमक उद्योगों को वैगनों का नियमित और पर्याप्त कोटा देने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
4	64	श्री पी० जी० मावलंकर	: पश्चिमी जोन में वैगनों की वर्तमान त्रुटिपूर्ण, अनिश्चित और अपर्याप्त व्यवस्था में, जिसके परिणामस्वरूप कोयले की अनियमित और अनिश्चित सप्लाई होती है जिससे अहमदाबाद और गुजरात में उद्योगों और बिजलीघरों के समुचित और दक्षतापूर्ण कार्यपालन में बाधा पहुंचती है, सुधार करने में असफलता।	,,
4	65	श्री पी० जी० मालवंकर	: रेलों में ऊपर से नीचे तक लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार और कदाचार को, जिससे समस्त देश में अनगिनत यात्रियों और फर्मों आदि को जबरदस्त परेशानी, कठिनाई और आर्थिक हानि हो रही है, कडाई से रोकने में असफलता।	,,
4	66	श्री आर० वी० बड़े	: पिछले दस वर्षों या इससे अधिक समय से कार्य कर रहे रेलवे सिविल इंजीनियरों को स्थायी करने में असफलता।	,,
4	67	श्री आर० वी० बड़े	: रेल हड़ताल में भाग लेने वाले निलम्बित और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के बारे में रेल मंत्री द्वारा सभा में दिये गये आश्वासन को पूरा करने में केन्द्रीय और पश्चिमी रेलवे की असफलता।	,,
4	68	श्री रामावतार शास्त्री	: सरकार की श्रम-विरोधी नीति।	,,
4	69	श्री रामावतार शास्त्री	: रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
4	70	श्री रामावतार शास्त्री :	विगत रेल हड़ताल के दौरान श्रमिकों का दमन करने हेतु फासिस्ट तरीकों का प्रयोग ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये
4	71	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल हड़ताल का दमन करने की प्रक्रिया में करोड़ों रुपयों का अनावश्यक व्यय ।	,,
4	72	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी मानने तथा उन्हे औद्योगिक कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधायें प्रदान करने में असफलता ।	,,
4	73	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल अधिकारियों में बढाते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	,,
4	74	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के विरूद्ध आरम्भ की गयी सभी कार्यवाहियों को वापस लेने में असफलता ।	,,
4	75	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल कर्मचारियों के विरूद्ध न्यायालयों में निलम्बित सभी मामलों को वापस लेने में असफलता ।	,,
4	76	श्री रामावतार शास्त्री :	भारतीय रेल कर्मचारी संघ तथा अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महा-संघ को मान्यता देने में असफलता ।	
4	77	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल गाड़ियों के देरी से चलने को रोकने में असफलता ।	,,
4	78	श्री रामावतार शास्त्री :	राष्ट्रीय रेल कर्मचारी संकर्ष समन्वय समिति के साथ बातचीत करके सभी विवादास्पद मामलों को हल करने में असफलता ।	,,
4	79	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल कर्मचारियों को बोनस मिलने में असफलता ।	,,
4	80	श्री रामावतार शास्त्री :	मुगलसराय, दानापुर, कटिहार, जमालपुर, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, धनबाद, गया, और देश के अन्य केन्द्रों में हड़ताल के दौरान कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों की जांच करने के लिये संसद् सदस्यों कों एक समिति बनाने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
4	81	**श्री रामावतार शास्त्री :**	रेल कर्मचारी समन्वय समिति और धनबाद की राष्ट्रीय रेल कर्मचारी संघर्ष समन्वय समिति के कार्यालयों के भवन का गिराया जाना और इनकी 8 हजार रुपये की सम्पत्ति की चोरी ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
4	82	**श्री रामावतार शास्त्री :**	यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए और यातायात की कठिनाई को दूर करने के लिये पटना-गया लाइन को दोहरा करने में असफलता ।	,,
4	83	**श्री रामावतार शास्त्री :**	पूर्वी रेलवे की पटना-गया लाइन पर परसाबाजार, नादवान, पोथाही, नौदल स्टेशनों पर शेड बनवाने में असफलता ।	,,
4	84	**श्री रामावतार शास्त्री :**	व्यापारियों की सुविधा के लिये पटना घाट रेलवे यार्ड का विस्तार करने में असफलता ।	,,
4	85	**श्री रामावतार शास्त्री :**	बिहटा से डालटनगंज और औरंगाबाद तक बरास्ता विक्रम-पालीगंज-अरवाल नई रेलवे लाईन बनाने की आवश्यकता ।	,,
4	101	**श्री रामावतार शास्त्री :**	रेल हड़ताल में भाग लेने वाले लाखों कर्मचारियों की सेवाओं में व्यवधान को समाप्त करने में असफलता ।	,,
4	102	**श्री रामावतार शास्त्री :**	हड़ताली रेल कर्मचारीयों के विरुद्ध निलम्बन, बर्खास्तगी और नौकरी से हटाये जाने के मामलों को वापस लेने में असफलता ।	,,
4	103	**श्री रामावतार शास्त्री :**	पश्चिम बंगाल में रेल कर्मचारियों को आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन लगातार नजर-बन्द रखना ।	,,
4	104	**श्री रामावतार शास्त्री :**	रेल हड़ताल के समय रेल कर्मचारियों के विरूद्ध की गयी कानूनी कार्यवाही को वापस लेने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
4	105	श्री रामावतार शास्त्री	: इण्डियन रेलवे लोको मेकेनिकल स्टाफ एसोसियशन द्वारा 24 नवम्बर, 1973 से 24 जनवरी, 1974 तक नियमानुसार कार्य करने के आन्दोलन के दौरान आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये गये कर्मचारियों को रिहा करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
4	106	श्री रामावतार शास्त्री	: गैर-मान्यता प्राप्त रेल कर्मचारी युनियनों से सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापस लेने में असफलता ।	,,
8	107	श्री रामावतार शास्त्री	: टिकटों की चोर बाजारी रोकने में असफलता ।	,,
8	108	श्री रामावतार शास्त्री	: रेल कार्यालयों में फार्मों और लेखन सामग्री की कमी ।	,,
10	109	श्री रामावतार शास्त्री	: रेल अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की कमी ।	,,
10	110	श्री रामावतार शास्त्री	: रेल कर्मचारियों के लिय कैंटिनों का असंतोषजनक प्रबन्ध ।	,,
4	86	प्रो० एस० एल० सक्सेना	: गोरखपुर से महाराजगंज तक बरास्ता निचलोल-ठूंटीवाडी-भेसालोटन एक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
4	87	प्रो० एस० एल० सक्सेना	: नौटनवा से नेपाल में लुम्बिनी बाग तक एक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
4	88	प्रो० एस० एल० सक्सेना	: पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर-नौटवमनी लूप लाइन पर आनन्द नगर से दो मील दक्षिण में स्थित लालबहादुर शास्त्री नगर पर एक हाल्ट स्टशन बनाने की आवश्यकता ।	,,
4	89	प्रो० एस० एल० सक्सेना	: पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर-चितौनी लूप लाइन पर सिसवां से तीन मील उत्तर में सिसवा और खाडा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित गुरली पर एक हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
4	90	श्री एस० एम० बनर्जी :	मई, 1974 में हड़ताल के कारण सेवा मुक्त, बर्खास्त और सेवा से हटाये गये सभी रेल कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
4	91	श्री एस० एम० बनर्जी :	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता ।	,,
4	92	श्री प्रसन्नभाई मेहता :	हड़ताल के बाद भावनगर डिवीजन के 125 रेल कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता ।	,,
4	93	श्री प्रसन्नभाई मेहता :	तथा-कथित वफादार रेल कर्मचारियों को "पुरस्कार" के नाम पर शक्तियों का दुरुपयोग	,,
5	94	श्री प्रसन्नभाई मेहता :	पश्चिमी रेलवे के दूसरी श्रेणी के डिब्बों की मरम्मत सुधार तथा अनुरक्षण की आवश्यकता ।	,,
8	95	श्री प्रसन्नभाई मेहता :	पश्चिमी रेलवे के भावनगर डिवीजन में कोलये की कमी के कारण रद्द की गयी गाड़ियों को पुनः चालू करने में असफलता ।	,,
85	96	श्री प्रसन्नभाई मेहता :	भावनगर और कच्छ से नमक उठा ले जाने के लिये पश्चिमी रेलवे द्वारा वैगनों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
10	97	श्री प्रसन्नभाई मेहता :	पश्चिमी रेलवे के कर्मचारियों के स्कूल और कालेज जाने वालें बच्चो के लिये भावनगर में छत्रावास बनाने की आवश्यकता ।	,,
4	111	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे में अनिर्बन्धित यूनियनों को मान्यता देना ।	
4	112	श्री भोगेन्द्र झा :	रेलवे बोर्ड को भंग करने में असफलता ।	,,
6	113	श्री भोगेन्द्र झा :	1969 में 33 दिनों की हड़ताल के सम्बन्ध में केन्द्रीय श्रम मंत्री के एक लिखित आश्वासन की अवहेलना करके पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी-गहरा परियोजना के श्रमिकों प्रोजेक्ट भत्ता देने और उनके विरूद्ध मुकदमें वापस लेने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
6	114	श्री भोगेन्द्र झा :	गत देशव्यापी रेल हड़ताल से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों की छटनी मुअत्तली इत्यादि के मामलों को वापस लेने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
8	115	श्री भोगेन्द्र झा :	तीसरे दर्जे के किराये में वृद्धि	,,
8	116	श्री भोगेन्द्र झा	रेलों में माल की चोरी और बिना टिकट यात्रा को रोकने में असफलता।	,,
8	117	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में मोराठा और कोरहिया हाल्ट को चालू करने में विलंब।	,,
8	118	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में झंझारपुर से लोकहा बाजार तक एक नयी रेल लाइन बिछाने में विलम्ब।	,,
8	119	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में लोकहा-जयनगर और सीतामढ़ी के बीच एक नयी रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
8	120	श्री भोगन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में सकरी-हसनपुर के बीच एक नयी लाइन का निर्माण करने में विलम्ब।	,,
8	121	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर से दरभंगा तक एक बड़ी लाइन का निर्माण करने में विलम्ब।	,,
8	122	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर-खगोल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता।	,,
4	125	श्री एम० कतामुतु :	मन्नारगुडी और निदामंगलम् के बीच रेल की पटरी को मजबूत करने के लिए बजट आवंटन की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
4	130	श्री एम० कतामुतु :	मद्रास और विजयवाड़ा के बीच विद्युतिकरण कार्य को पूरा करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
4	131	श्री एम० कतामुतु	: दक्षिण रेलवे में ब्रांच लाइनों में लोको कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान रद्द की गयी सभी यात्री गाड़ियों को पुनः चालू करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
4	132	श्री एम० कतामुतु	: मयूरन जंकशन और ट्रांकुएवार, पेरालाम और कराईकल, मयूरन जंकशन और कराइकुड़ी, टौरथुवाइ-पुन्ड़ी और प्वाइंट कालीरुरे, थंजाउर और नागौर के बीच सभी यात्री गाड़ियों को पुनः चालू करने में असफलता ।	,,
4	151	श्री एम० कतामुतु	: अनुपूरक प्रभार से मछलियों के पार्सलों को छूट देने में असफलता ।	,,
4	152	श्री एम० कतामुतु	: यह स्पष्ट करने की आवश्यकता कि प्रस्तावित अनुपूरक प्रभार नमक पर नहीं लगाया जायेगा ।	,,
4	154	श्री एम० कतामुतु	: दक्षिण रेलवे में वेदारानियम से नमक के लाने ले जाने के लिये वैगनों का नियमित तथा पर्याप्त कोटा आवंटित करने तथा देने में असफलता ।	,,
4	155	श्री एम० कतामुतु	: दक्षिण रेलवे में 1972 से कोयले की कमी के कारण रद्द की गयी रेल गाड़ियों को पुनः चालू करने में असफलता ।	,,
4	208	श्री एम० कतामुतु	: अतिरिक्त शुल्क से दुग्ध चूर्ण को छूट देने की आवश्यकता ।	,,
4	161	श्री हुकम चन्द कछवाय	: मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण बर्खास्त, निलम्बित तथा सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता ।	,,
4	162	श्री हुकम चन्द कछवाय	: सरकार की रेल कर्मचारी-विरोधी नीति ।	,,
4	163	श्री हुकम चन्द कछवाय	: मई, 1974 की रेल हड़ताल के दौरान सरकार द्वारा अपनाया गया दमनकारी रवैया ।	,,

1	2	3	4	5
4	164	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	औद्योगिक कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं रेल कर्मचारियों को उपलब्ध कराने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
4	165	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	मक्सीगुना रेलवे लाइन को शिवपुर तक बढ़ाने में असफलता।	,,
4	166	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	उज्जैन-आगरा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता।	,,
4	167	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	ग्वालियर डिवीजन में सभी स्टेशनों पर ऊपरी पुल बनाने में असफलता।	,,
4	168	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	पश्चिम रेलवे में गोरखपुर, बम्बई, जयपुर और जोधपुर में और अन्य राज्यों में रेल हड़ताल के दौरान कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों की न्यायिक जांच कराने में असफलता।	,,
5	169	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	भारी भीड़ के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये हावड़ा-दिल्ली/नई दिल्ली लाइन पर और अधिक गाड़ियां चलाने की आवश्यकता।	,,
5	170	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	भारी भीड़ के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये राय-बरेली इलाहाबाद-दिल्ली/नई दिल्ली के बीच तेज गाड़ियां चलाने की आवश्यकता।	,,
5	171	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	प्रतापगढ़ से हावड़ा–अमृतसर तक गाड़ियों में और पंजाब मेल में सीधी बोगी लगाने की आवश्यकता।	,,
5	172	**श्री हुकम न्द कछवाय** :	यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए लखनऊ–दिल्ली/नई दिल्ली लाइन पर और अधिक गाड़ियां अथवा तेज गाड़ियां चलाने की आवश्यकता।	,,
5	173	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	मध्य रेलवे पर मुरैना स्टेशन के पास एक ऊपरी पुल बनाने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
5	174	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	मध्य रेलवे पर छोटी लाइन को सोपार-कलान से सवाईमाधोंपुर तक बढ़ाने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
5	175	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	भीड को इटवा रेलवे लाइन से मिलाने में असफलता ।	,,
5	176	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	ग्वालियर से बामोर जोरा सबलगढ़ तक और शिवपूर कलान से सवाई-माधोपूर तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता ।	,,
5	177	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	ग्वालियर-शिवपुरी-गुणा मक्सीलाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता ।	,,
5	178	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	मध्य रेलवे पर मांझी डिवीजन में चलने वाले छोटी लाइन यात्री डिब्बों और इंजनों का नवीकरण करने में असफलता ।	,,
5	179	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	मध्य रेलवे पर झांसी डिवीजन में चलने वाले छोटी लाइन के रेलवे यात्री डिब्बों में बिजली पानी जंजीरों और सफाई की सुविधाओं के लिये व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
5	180	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	मध्य रेलवे पर झांसी डिवीजन में कई स्टेशनों पर पानी, बिजली प्रतीक्षालयों, जलपान और सफाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
8	181	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	रेल टिकटों में चोर-बाजारी समाप्त करने में असफलता ।	,,
8	182	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	शायिकाओं के आरक्षण में चोरबाजारी समाप्त करने में असफलता ।	
8	183	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	रेल गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा को रोकने में असफलता ।	
8	184	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :	रेल सम्पत्ति की चोरी को रोकने में असफलता ।	,,

Mr. Chairman : The words used about the Minister of Railways, perhaps running into two paragraphs, will be expunged.

To-day three Opposition members have spoken. Three Members from the Congress will be entitled to speak on Monday continuously.

तत्पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 9 सितम्बर, 1974/18 भाद्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, September 9, 1974/*Bhadra* 18, 1896 *Saka.*

भा०स०म्०ना०—वि० 7—35 लोक सभा/74—12-12-74—490.